"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 जून 2017—ज्येष्ठ 26, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2017

क्रमांक 713/LV-38-25-2017-March/1-8/स्था.—श्रीमती नलिनी माथुर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, का दिनांक 05-04-2017 से 13-04-2017 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती नलिनी माथुर, आगामी आदेश तक अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती नलिनी माथुर, को अवकाश वेतन भत्ता उव अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नलिनी माथुर, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. राजपूत, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 मार्च 2017

क्रमांक एफ 7-11/2015/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 26-9-2015 द्वारा राजनांदगांव विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुऐ, दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

राजनांदगांव विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 में उपांतरण

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टेयर में)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सिंघोला प.ह.नं. 25	15	20.85 हेक्टेयर में से 6.00 हेक्टेयर	कृषि	आवासीय

2. उक्त उपांतरण अटल विहार आवासीय योजना क्रियान्वयन हेतु है.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा राजनांदगांव विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण राजनांदगांव योजना (पुनर्विलोकन) 2031 का अंगीकृत भाग होगा.

नया रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2017

क्रमांक एफ 7-14/2015/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 26-9-2015 द्वारा राजनांदगांव विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुऐ, दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार

दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

राजनांदगांव विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 में उपांतरण

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	खसरा क्र. (3)	रकबा (हेक्टेयर में) (4)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव (5)	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण के प्रस्ताव (6)
1.	पेन्ड्री प.ह.नं. 23	664	3.844 हेक्टेयर में से 4.00 एकड़	सार्वजनिक-अर्द्धसार्वजनिक, उद्यान, प्रस्तावित मार्ग, आवासीय	आवासीय

2. उक्त उपांतरण शासकीय आवासों के निर्माण हेतु हैं.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा राजनांदगांव विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण राजनांदगांव योजना (पुनर्विलोकन) 2031 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 16 मई 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	लाखा प.ह.नं. 28	1.967	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के डूबान के अंतर्गत भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 4 मई 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-बरमकेला
- (ग) नगर/ग्राम-मानिकपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.374 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1/1	0.020
803/2	0.020
802/2	0.016
719/5	0.223
567/3 क	0.040
567/3 ख	0.041
567/2 क	0.016
567/2 ख	0.016
568/1, 662/1, 662/4, 662/5, 710/1, 718/2, 718/4 | क	0.259
729/1	0.030
568/2, 662/2 क, 662/3 718/1, 718/3 | 1/ख	0.397
662/2 ख	0.224
664/3 क	0.162
690/2	0.004
692/2	0.020
693	0.032
735/1	0.004
716/2	0.012
721	0.018
1/2	0.053
3/1 ख	0.008
664/2	0.425
724	0.045
727/6 क	0.016
719/2 ख	0.079
717/1	0.012
719/6 ख	0.101
568/1, 662/1, 662/4, 662/5, 710/1, 718/2, 718/4 | ख	0.259
729/2	0.031
568/2, 662/2 क, 662/3, 718/1, 718/3 | 1/ग	0.304
727/4 ख	0.162
664/3 ख	0.073
690/3	0.004
720/3	0.008
712	0.012
699	0.065
719/2 क	0.079
802/1	0.004
728/2	0.081
3/2 क	0.020
719/1	0.024
730/1	0.081
826, 827/2	0.016
727/6 ख	0.016
719/4	0.206
727/5	0.016
568/1, 662/1, 662/4, 662/5, 710/1, 718/2, 718/4 | ग	0.259
727/1 ग	0.072
568/2, 662/2 क, 662/3, 718/1, 718/3 | 1/घ	0.330
664/1 क	0.162
690/1	0.008
691	0.020
838/3	0.032
720/2	0.008
713	0.012
719/7	0.227
722	0.061
755/2	0.008
727/1 क	0.071
719/3	0.283
567/1 क	0.202
567/1 ख	0.308

(1)	(2)
826, 827/3	0.028
719/6 क	0.101
727/1 ख	0.071
568/1, 662/1, 662/4, 662/5, 710/1, 718/2, 718/4 घ	0.260
727/2 क	0.160
727/2 ख	0.160
730/1	0.073
692/1	0.012
734	0.014
839/3	0.081
698	0.028
715/3	0.008
730/3	0.020
723	0.045
725	0.097
771, 791, 792	0.567
806	0.020
733	0.028
736/1	0.008
758/5	0.049
760	0.008
808	0.008
820/1	0.065
820/3	0.073
825/2	0.022
738	0.291
851	0.020
727/3	0.308
737	0.004
736/2	0.008
767	0.028
766	0.020
813	0.024
820/2 क	0.016
822	0.117
826, 827/1	0.016
768/2	0.093
726/1	0.129
727/4 क	0.162
758/1	0.057
757	0.024
746/2	0.032
804	0.210
814	0.024
820/2 ख	0.016
823	0.174
835	0.308
761	0.028
805	0.182
728/1	0.081
765	0.024
758/3	0.012
759	0.016
815	0.004
816	0.040
820/2 ग	0.033
825/1	0.050
योग 119	10.374

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमा बैराज योजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 मई 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-बरमकेला
- (ग) नगर/ग्राम-विश्वासपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-29.597 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
26/4	0.150
67/1 ख	0.036

(1)	(2)	(1)	(2)
25	0.495	55/2	0.065
32	0.162	60/1	0.085
84/11	0.021	143, 145/2 घ	0.084
23, 24, 27/10	0.174	84/5	0.028
1/1	0.129	84/3	0.028
46	0.235	84/8	0.021
84/4	0.028	101/1	0.076
170/1	0.041	26/1	0.077
67/1 क	0.036	55/3	0.065
140/1	0.283	31/1	0.121
23, 24, 27/4	0.213	23, 24, 27/9	0.162
23, 24, 27/2	0.207	55/4	0.073
23, 24, 27/8	0.165	84/2	0.024
72/1	0.097	78	0.154
56/3	0.308	72/10	0.077
9	0.495	23, 24, 27/7	0.044
67/2, 67/3	0.105	101/3	0.324
138	0.304	44	0.113
31/2	0.121	72/3	0.097
73	0.113	84/6	0.010
37	0.105	55/4	0.065
16	0.138	60/3	0.085
65	0.283	146/1	0.146
72/9	0.077	77/1	0.032
10	0.263	101/2	0.073
48	0.121	23, 24, 27/1	0.207
23, 24, 27/5	0.059	35/3	0.085
47	0.065	36	0.089
26/2	0.077	55/6	0.065
143, 145/2 ख	0.101	3	0.380
72/4	0.097	72/8	0.077
72/2	0.097	84/9	0.024
72/7	0.081	84/7	0.010
84/1	0.028	51	0.097
137/3	0.202	145/1	0.024
26/3	0.150	8	0.162
77/2	0.028	54	0.186
139	0.081	140/2	0.101
55/1	0.065	49	0.242
77/3	0.061	94	0.200
62	0.105	103	0.224
23, 24, 27/11	0.162	68	0.008
151	0.457	71	0.737
84/10	0.021	74/2	0.091
12, 13, 14	0.570	18	0.721
23, 24, 27/3	0.207	66	0.174
72/5	0.039	30/1	0.465

(1)	(2)
97/1	0.041
137/1	0.291
41	0.223
69	0.032
56/2	0.308
170/3	0.045
170/2	0.043
53	0.121
147	0.140
17	0.136
60/2	0.134
143, 145/2 क	0.021
58	0.081
99	0.281
150	0.441
20	0.628
169	0.061
83/2	0.365
33	0.526
70	0.040
74/1	0.091
35/1	0.081
45	1.315
42	0.182
63	0.522
137/2	0.202
23, 24, 27/6	0.059
5, 7	0.194
59	0.121
203	0.125
50	0.081
60/4	0.036
143, 145/2 ग	0.057
82	0.097
100	0.225
19	0.271
28	0.721
22/2	0.388
96/2	0.052
39	0.152
75	0.283
83/1	0.364
56/1	0.287
145	0.287
43	0.368
149	0.081
72/6	0.038
29	0.113
144	0.429
6	0.016
52	0.340
81	0.016
146/2	0.209
85	0.142
102, 104	0.721
64	0.405
34	0.439
30/2	0.465
97/2	0.113
61	0.105
22/1	0.389
96/1	0.052
80	0.186
141	0.186
38	0.360
35/2	0.117
योग 162	29.597

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमा बैराज योजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 मई 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-बरमकेला
- (ग) नगर/ग्राम-बरगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.169 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)	(1)	(2)
		1/15, 287/2	0.046
		2	0.081
1/2, 29	0.154	295	0.061
1/4 क	0.004	1/3 क	0.006
1/4 क	0.004	1/3 ख	0.006
286/2	0.043	285/2	0.024
1/9 ग, 276/5 ग	0.012	1/9 क, 276/5 ग	0.008
1/9 घ, 276/9	0.011	1/9 घ, 276/8	0.012
253	0.053	1/12, 281/2	0.040
1/15, 287/4	0.046	1/12, 281/1/1	0.021
1/16, 288/6	0.004	1/15, 286/1	0.134
1/12, 281/1/4	0.020	1/16, 288/2	0.008
1/13, 282	0.271	214/1	0.056
1/14, 283/1/2	0.019	11//1 क	0.020
1/14, 283/1/4	0.019	11/1 ग	0.019
1/14, 283/2 ख	0.036	16/2 घ	0.012
1/15, 287/3	0.045	214/2	0.038
3/1	0.028	300/2	0.097
1/9 ख, 276/1	0.069	296	0.020
285/1	0.025	307/2	0.049
23	0.032	7/1 क	0.019
306	0.247	7/2	0.036
1/9 घ, 276/7	0.011	233/2	0.047
1/10, 279	0.057	300/1 क	0.031
254	0.024	28	0.061
214	0.038	226/2	0.162
1/12, 281/1/3	0.020	235/1	0.035
1/15, 287/6	0.134	248, 249	0.008
373	0.117	160/2	0.004
11/1 ख	0.019	261/3 क	0.004
11/1 घ	0.019	262	0.004
16/2 च	0.012	275	0.113
1/16, 288/5	0.004	284/1 ग	0.017
256	0.016	291/2	0.041
276/4	0.073	294/1	0.073
286/1	0.042	300/1 ख	0.031
24	0.032	309, 312/1	0.105
1/9, 269	0.097	375/3	0.190
1/9 घ, 276/6	0.011	324, 325	0.081
1/11, 280	0.065	323	0.101
308	0.113	332	0.259
1/12, 281/1/2	0.020	374/1	0.097
1/15, 287/5	0.134	6	0.105
1/16, 288/1	0.051	16/2 क	0.012
1/14, 283/1/1	0.019	284/2	0.048
1/14, 283/1/3	0.020	274/2	0.083
1/14, 283/2 क	0.037	16/2 ड़	0.012

(1)	(2)
56/4	0.161
226/3	0.134
374/2	0.025
250	0.008
272	0.101
277/1	0.044
263/1	0.004
276/3	0.069
290/1	0.081
292	0.170
294/2	0.073
255	0.016
321/3	0.002
321/2	0.079
326	0.040
327/1	0.023
333/2	0.142
375/2	0.109
251	0.008
7/1 ख	0.018
14/1	0.276
16/1	0.069
284/1 क	0.016
226/1	0.045
328/2, 331/3	0.142
235/2	0.034
252	0.012
261/1	0.004
261/3 ख	0.004
273	0.101
278	0.065
328/2, 331/1	0.141
293/1	0.015
298	0.085
307/1	0.008
328/3	0.081
328/1	0.081
327/2	0.046
328/3, 331/2	0.142
335	0.037
334	0.251
16/2 ग	0.012
21	0.020
16/2 ख	0.013
300/1 ग	0.031
232/3	0.049
228	0.036
374/3	0.024
260/1	0.016
261/2	0.004
277/2	0.045
274/1	0.083
284/1 ख	0.016
291/1	0.0121
293/2	0.074
299	0.170
307/3	0.049
333/1	0.162
322	0.166
330	0.081
329	0.073
375/1	0.098
योग 154	9.169

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमा बैराज योजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 23 मई 2017

क्रमांक 1884/07/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लखनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बेलदगी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.818 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
415/1	0.282
416	0.121
436/4	0.032
437/2	0.040
419/1	0.554
419/5	0.356
431	0.138
435/1	0.036
336/1	0.280
330	0.113
415/2	0.121
437/4	0.032
417/1	0.202
433	0.194
419/3	0.243
422	0.049
439	0.028
435/2	0.004
338	0.352
331	0.069
417/2	0.024
432	0.619
41/1	0.010
437/3	0.113
419/6	0.129
423	0.166
791	0.138
436/2	0.141
323/1	0.040
440	0.081
419/2	0.129
441	0.085
10/2	0.010
420	0.231
419/4	0.121
421	0.251
434	0.089
436/3	0.057
323/2	0.041
438	0.097
योग	5.818

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चन्दनई व्यपवर्तन योजना के डुबान क्षेत्र हेतु ग्राम बेलदगी हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उदयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 मई 2017

क्रमांक 1888/09/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-उदयपुर
- (ग) नगर/ग्राम-डूमरडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.340 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
44/3	0.032
46	0.073
50	0.283
51	0.057
57/3	0.051
52/5	0.656
60	0.061
64/4	0.097

(1)	(2)
65/1	0.103
61/5	0.181
65/6	0.076
53/5	0.062
53/6	0.117
55/3	0.405
57/1	0.052
44/4	0.089
40/2	0.061
40/19	0.040
53/2	0.064
47/1	0.061
47/3	0.109
59/2	0.081
62/1	0.158
61/5	0.317
61/8	0.081
65/7	0.103
56/2	0.077
53/16	0.113
54	0.040
54/5	0.065
40/3	0.142
48	0.105
57/2	0.051
56/1	0.077
52/1	0.202
52/2	0.858
61/1	0.402
65/2	0.078
65/5	0.050
61/7	0.089
65/3	0.051
53/8	0.307
53/17	0.110
66	0.061
52/3	0.656
45	0.162
49	0.106
53/18	0.065
52/4	0.065
47/2	0.061
59/1	0.458
61/3	0.105
53/3	0.028
61/6	0.073
62/2	0.061
65/4	0.051
61/2	0.255
55/2	0.433
77	0.154
55/1	0.161
योग 60	9.340

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डूमरडीह जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उदयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 मई 2017

क्रमांक 1890/01/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लखनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सिरकोतंगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.356 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	127/2	0.060
	199/2	0.040
	576/11	0.128
	683/4	0.128
योग	4	0.356

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-श्याम घुनघुट्टा परियोजना के श्याम बाई तट मुख्य नहर एवं सिरकोतंगा माईनर हेतु ग्राम सिरकोतंगा.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उदयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2017

क्रमांक/आब./स्था. (सरगुजा)/2017/1863.—छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा-2015 के आधार पर चयनित निम्नांकित उम्मीदवारों को आबकारी उप निरीक्षक (सेवा कार्यपालिक) के पद पर वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2800 में एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर उनके उपस्थित होने के दिनांक से 2 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाकर उन्हें उनके नाम के समक्ष दर्शाये जिले में आगामी पर्यन्त अस्थाई रूप से पदस्थ किया जाता है.

क्र. (1)	चयन सूची अनुक्रमांक (2)	उम्मीदवार का नाम (3)	पदस्थ नियुक्ति जिले का नाम (4)
1.	1	श्री विनय कुमार कश्यप	कोरबा
2.	2	श्री आशीष उप्पल	रायगढ़
3.	4	श्री शरद कुमार जायसवाल	धमतरी
4.	5	श्री धीरज कुमार नायक	महासमुंद
5.	6	सुश्री निवेदिता मिश्रा	बेमेतरा
6.	7	श्री दिलीप कुमार प्रजापति	राजनांदगांव
7.	8	श्री कमलजीत पाटले	धमतरी
8.	10	श्री रमेश सिंह सिदार	महासमुंद

उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन होगी.

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की चयन सूची के अनुसार रहेगी.

2. नियुक्त उम्मीदवार को आदेश प्राप्त होने की तारीख से 15 दिवस के भीतर आबकारी उप निरीक्षक के पद पर संबंधित नियुक्त किये गये जिले में उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जायेगा.

3. नियुक्त उम्मीदवारों को उनके उपस्थित होने पर स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी मेडिकल रिपोर्ट उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ संबंधित जिले के अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा तथा कार्य की गई अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

4. संबंधित उम्मीदवार की सेवायें किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते की राशि का भुगतान कर सेवाएं समाप्त की जा सकती है.

5. चयनित उम्मीदवार को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने के लिये किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

6. संबंधित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन पत्र में चरित्र सत्यापन के संबंध में पुलिस विभाग से विपरीत टीका/प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, जो शासकीय सेवा में बाधक हो तो तत्काल सेवामुक्त करने की कार्यवाही की जायेगी.

7. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश परिपत्र क्रमांक एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3 दिनांक 31-3-2012 के कंडिका 3 (2) अनुसार उनकी नियुक्ति अनन्तिम है अभ्यर्थी के द्वारा उसकी जाति के प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वत: छानबीन समिति से करवाकर 02 माह के भीतर सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी और यदि उक्त नियम अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो अथवा छानबीन समिति के द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये पूर्वाग्रह के नियोक्ता द्वारा उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी. तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही की जा सकेगी. जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन उपरांत ही संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किया जावेगा.

8. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारीगण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 नियम 1962 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1965 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 शासित होंगे.

9. उपरोक्त अभ्यर्थी को संबंधित जिला कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष मूल निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाणपत्रों की मूलप्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी.

10. चयनित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा की वापसी के लिये उत्तरदायी रहेगा.

11. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को जब छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जायेगा तब वे अपनी उपस्थिति जिले से प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

12. परिवीक्षा अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार असफल होने पर अधिकारी को अकादमी में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुन: परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिये जा सकेंगे.

13. परिवीक्षा अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षायें भी उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से 01 वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा. इसके उपरांत भी विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण न करने पर सेवायें तत्काल समाप्त की जावेगी.

14. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

ए. के. अग्रवाल,
आबकारी आयुक्त.

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

जगदलपुर, दिनांक 7 मार्च 2017

क्रमांक 296/भैरमगढ़ व.भू.-उप./नग्रानि/2017.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि भैरमगढ़ निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टरों को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति कार्यालय नगर पंचायत भवन भैरमगढ़ (प्रदर्शनी स्थल) जिला बीजापुर, कार्यालय कलेक्टर जिला बीजापुर एवं कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, संयुक्त जिला कार्यालय भवन द्वितीय तल जगदलपुर कक्ष क्र. 31 में दिनांक 08 मार्च 2017 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्य दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. भैरमगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में दर्शित है :—

अनुसूची

भैरमगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम भटवाड़ा एवं ग्राम मंगलनार की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम मंगलनार व भैरमगढ़ एवं ग्राम पुसनार की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम भैरमगढ़ की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम भैरमगढ़ एवं भटवाड़ा की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समयावधि के भीतर लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जगदलपुर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हों, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जगदलपुर द्वारा विचार किया जायेगा.

निरीक्षण स्थल :— नगर पंचायत भवन, भैरमगढ़.

No. 296/Bhairamgarh.EXT.L./T&CP/2017.—Notice is hereby given that the existing land use map for Bhairamgarh Planning Area has been prepared under section 15 sub section (1) of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from dated 08-03-2017 during office hours in the Office of the Nagar Panchayat Bhavan (Exibition Venue) Bhairamgarh, office of the Collector, District Bijapur & Office of Deputy Director, Town & Country Planning, Collectorate Compound Composite Building Jagdalpur, Dist- Bastar The limit of the Bhairamgarh Planning Area is defined in the schedule given below :—

SCHEDULE

Limits of Bhairamgarh Planning Area

NORTH	:	Village Bhatwada and Mangalnar to the Nothern limit.
EAST	:	Village Mangalnar, Bhairamgarh and village pusnar upto the eastern limit.
SOUTH	:	Village Bhairamgarh upto the southern limit.
WEST	:	Village Bhairamgarh and Bhatwada upto the western limit.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Deputy Director, Town and Country Planning Jagdalpur, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and before the period specified above will be considered by Inc. Deputy Director Jagdalpur.

Place of Inspection :— Nagar Panchayat Bhavan, Bhairamgarh.

जगदलपुर, दिनांक 22 मार्च 2017

क्रमांक 409/केशकाल व.भू.-उप./न.ग्रा.नि./2017.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसरण में केशकाल निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 1870/केशकाल व.भू-उप./न.ग्रा.नि./2017 जगदलपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2016 द्वारा किया गया था.

अब एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन केशकाल निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का वर्तमान भूमि उपयोग एवं रजिस्टरों को तदानुसार सम्यक रूप से दिनांक 28 फरवरी 2017 को अंगीकृत किया जाता है, तथा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसार में इस सूचना को छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का साक्ष्य होगा, कि उक्त मानचित्र सम्यक रूप से तैयार एवं अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

केशकाल निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम गढ़सिलयारा, सुरडोंगर एवं गोरगांव ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम गोरगांव, कोदाभाटा एवं व्यालपुर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम व्यालपुर, जामगांव, बोरगांव एवं बटराली ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम बटराली, सरगीपाल, तुमसकोनाड़ी एवं गढ़सिलयारा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक अवलोकन हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय नगर पंचायत भवन, केशकाल.

No. 409/Kesh.EXT.L./T&CP/2017.—The existing land use map and register for the Keshkal Planning Area was published under sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide notice No. -1870/Kesh.EXT.L./T&CP/2017 jagdalpur, dated 28 November 2016.

Therefore a notice is here by given for the general information of the public that existing land ue map and register of Keshkal Planning Area prepared and published are duly adopted under the provision of sub section (3) of the section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette under the provision of sub section (4) of section 15 of the said Adhiniyam which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps and registers has been duly prepared and adopted on dated 28-02-2017.

SCHEDULE

Limit of Keshkal Planning Area

NORTH	:	Village Garhsiliyara, Surdongar, Gaurgoan upto the Nothern limit.
EAST	:	Village Gaurgoan, Kodobhat, Bayalpur upto the eastern limit.
SOUTH	:	Village Bayalpur, Jamgaon, Borgoan and Batrali upto the southern limit of village.
WEST	:	Village Batrali, Sargipal, Tumskonadi and garhsiliyara upto the western limit of village.

The said adopted maps and register shall be available for inspection for general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection :— Nagar Panchayat Bhavan, Keshkal.

डी. के. बघेल,
प्र. उप संचालक.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़

बिलासपुर, दिनांक 25 फरवरी 2017

क्रमांक/1052/ई.एल.यू./नग्रानि./2017.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में तखतपुर निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंध मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 4027 बिलासपुर दिनांक 28-06-2016 द्वारा किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट तखतापुर निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक रूप अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

भैरमगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम निगारबंद, पडरिया, टिहालडीह, नगोई एवं कुंआ ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम कुंवा, जरौंधा, अरईबंद एवं गुनसरी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम गुनसरी, मोढ़े, बेलसरी एवं तखतपुर ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम तखतपुर एवं निगारबंद ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, नया कम्पोजिट बिल्डिंग, बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)

No. 1052/E.L.U./T&CP/2017.—The existing Land use map and register for the Takhatpur planning Area existing land use map and register was published under Sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. 4027 date 28-06-2016 of Bilaspur.

Therefore a notice is hereby given for gneral information of the public that the existing land use map and register of Takhatpur planning Area existing land use map and registr so prepared and published are duly adopted bythe Joint Director, Town & Country planning, under the provision of sub-section (3) of section 15 of the said adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazett, under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map and register have been duly prepared and adopted on dt.

INDEX

NORTH	:	Village Nigarband, Padariya, Tihaldih, Nagoi and upto the North limit of Kunwa.
EAST	:	Village Kunwa, Jaraondha, Araiband and upto the East limit of Gunsari.
SOUTH	:	Village Gunsari, Modhe, Belsari and upto the South limit of Takhatpur.
WEST	:	Village Takhatpur and upto the West limit of Nigarband.

The said adopted map and register shall be available for inspections of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Inspection Site :— Office of the Joint Director Town & Country Planning New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur.

बिलासपुर, दिनांक 10 मार्च 2017

क्रमांक/1488/व.भू.उ.प्र./न.ग्रा.नि./2017.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि लोरमी निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये है और उसकी प्रति नगर पंचायत के कार्यालय भवन, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) लोरमी, जिला-मुंगेली एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नया कंपोजिट बिल्डिंग, कलेक्टोरेट परिसर बिलासपुर छ.ग. में दिनांक 08-03-2017 से कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दी गई है :—

अनुसूची

उत्तर में	:	ग्राम तुलसाघाट, लोरमी, गधीडीह के उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम गधीडीह, सारधा तथा मजगांव के पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम मजगांव, सेमरिया के दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्रमि सेमरिया, लोरमी, राम्हेपुर तथा तुलसाघाट के पूर्वी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नया कंपोजिट बिल्डिंग, कलेक्टोरेट परिसर बिलासपुर छ.ग. को सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, तो संचालक द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल :—

1. कार्यालय नगर पंचायत लोरमी, जिला-मुंगेली (छ.ग.)
2. कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, नया कम्पोजिट बिल्डिंग, बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.).

No. 1488/व.भू.उ.प्र./न.ग्रा.नि./2017.—Notice is hereby given that the existing land use maps for the Lormi Planning Area has been prepared under section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection w.e.f. 08-03-2017 in the office of the Nagar Panchayat Lormi, Office of the S.D.O. (Revenue) Lormi, District-Mungeli and Office of the Joint Director Town and Country Planning New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur during Office hours of working days. The limits of Bilaspur Planning Area are detailed in Schedule given below :—

INDEX

NORTH	:	Village Tulsaghat, Lormi and upto the North limit of Gadhidih.
EAST	:	Village Gadhidih, Sardha and upto the East limit f Majgaon.
SOUTH	:	Village Majgaon and upto the South limit of Semariya.
WEST	:	Village Semariya, Lormi, Ramhepur and upto the West limit of Tulsaghat.

If there by any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Joint Director, Town and Country Planning New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the expiry of the specified period above will be considered by the Director.

Inspection Site :—

1. Office of the Nagar Panchayat Lormi, District Mungeli (C.G.)
2. Office of the Joint Director Town & Country Planning New Composite Building Collectorate Premises Bilaspur.

संदीप बांगड़े,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 7 अप्रैल 2017

क्रमांक 492/व.भू.उप./नग्रानि/2017.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में छुरी निवेश क्षेत्र से सम्मिलित 11 ग्रामों के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 1718 कोरबा, दिनांक 15-12-2016 द्वारा किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कोरबा (छ.ग.) द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट छुरी निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 11 ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किये जाते हैं एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

छुरी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम केनाडांड, दर्राभाठा, गांगपुर एवं छुरीखुर्द ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम छुरीखुर्द, धनरास एवं बनचर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम बनचर, जटांगपुर, कसरेंगा एवं छुरीकला ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम छुरीकला, सलोरा, बिसनपुर एवं केनाडांड ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नया आर.टी.ओ. कार्यालय के पास रामपुर, कोरबा (छत्तीसगढ़)

No. 492/ELU/TCP/2017.—The existing land use map register for the Chhuri Planning Area of 11 Villages have been included for which the xisting land use maps and register was Published under sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. 1718, 15 December 2016 of Korba.

Therefore a notice is hereby given for general information of the public that existing land use maps and register of Chhuri Planning Area of 11 Villages have been included for which the existing land use maps and register so Prepared and Published are duly adopted by the Dy. Director, Town & Country Planning Korba (C.G.) under the provision of sub-section 3 of section 15 of the said adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazette, under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said adhiniyam, which shall be counclusive evidence of the fact that the above maps and register have been duly prepared and adopted on dt.

SCHEDULE

Chhuri Planning area limits

NORTH	:	Village Kenadand, Daraabhatha, Gangpur, Chhurikhurd and upto the North limit.
EAST	:	Village Chhurikhurd, Dhanras, Banchar and upto the East limit.
SOUTH	:	Village Banchar, Jatangpur, Kasrenga, Chhurikala and upto the South limit.
WEST	:	Village Chhurikala, Salora, Bisanpur, Kenādand and upto the west limit.

The said adopted maps and register shall be available for inspections of General Public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Inspection Site :— Office of the Deputy Director, Town & Country Planning, Near R.T.O. Office Rampur, Korba (C.G.)

के. एस. कंवर,
प्र. उप संचालक.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 29 मार्च 2017

क्रमांक/2396/नवागढ़ नि. क्षेत्र/न.ग्रा.नि./2017.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि नवागढ़ निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और जिसकी प्रति नगर पंचायत नवागढ़ के सभाकक्ष एवं नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग छ.ग. में दिनांक 31-03-2017 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. नवागढ़ निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट है :—

अनुसूची

नवागढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम मुरकुटा, साल्हेघोरी, मदनपुर, कोड़िया, ग्राम लालपुर की पूर्वी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम लालपुर ग्राम मुरता की दक्षिणी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम छीतापार, छेरकापुर, समेशर, मानपुर तथा टुरासेमरिया ग्राम रिसाअमली की पश्चिमी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम दुरासेमरिया, रिसाअमली, गोपालभैयना, चकलाकुण्डा ग्राम मुरकुटा की उत्तरी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थल पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त होगा उस पर संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग छ.ग. द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 2396/T&CP/DP-Nawagarh/2017.—Notice is hereby given that the existing land use map for Nawagarh planning area has bee prepared under sub section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from date 31-03-2017 during office hours in the conference hall of the Nagar Panchayat Nawagarh and Town and Country Planning office Durg. The Limit of the Nawagarh Planning Area is defined in the schedule given below.

SCHEDULE

Limit of the Nawagarh Planning Area

NORTH	:	Village murkuta,Salheghori, Madanpur, Kodiya village lalpur upto East boundary.
EAST	:	Village Lalpur, village murta upto South boundary.
SOUTH	:	Village Chhitapar, Chherkapur, Sameshar, Manpur, Turasemariya, village risa-amli upto West boundary.
WEST	:	Village Turasemariya, Risa-amli, Gopalbhaiyana, Chakalakunda village murkuta upto North boundary.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared in it should be sent in writing to the Joint Director, Town and Country Planning Durg Chhattisgarh within a period of Thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be considered by the Joint Director Town and Country Planning Durg.

जाहिद अली,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 29 मार्च 2017

क्रमांक 1133/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-जरही/2017.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि जरही निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है उसकी एक प्रति कार्यालय कलेक्टर जिला सूरजपुर, कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश अम्बिकापुर तथा नगर पंचायत जरही में दिनांक 06-04-2017 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

जरही निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

जरही निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम मेरहटा, गोंदा एवं सत्तीपारा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम सत्तीपारा, गोंदा, मेरहटा, दुरती एवं बंशीपुर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम बंशीपुर एवं कोरन्धा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम कोरन्धा, जरही सिन्धोपारा, दुरती एवं मेरहटा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त हो, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश अम्बिकापुर द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 1133/T&CP/Ambikapur/DP-Jarhi/2017.—Notice is hereby given that the existing land use map for Jarhi planning area has been prepared under sub-section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection from date 06-04-2017 during office hours in the offices of the Collector District Surajpur, Office of the Assistant Director Town and Country Planning Ambikapur and Nagar Panchayat Jarhi District Surajpur.

The limit of Jarhi Planning Area is defined in the schedule given below.

SCHEDULE

Limits of Jarhi Planning Area

NORTH	:	Village Marhata, Gonda and upto the Northern limit of Sattipara.
EAST	:	Village Sattipara, Gonda, Marhata and upto the Eastern limti of Banshipur.
SOUTH	:	Village Banshipur and upto the Southern limit of Korandha.
WEST	:	Village Korandha, Jarhi, Sendhopara, Durati and upto the Western limit of Marhata.

"If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared, it should be sent in writing to the Assistant Director, Town and Country Planning Ambikapur, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be considered by the Assistant Director Nagar Tatha Gram Nivesh Ambikapur Chhattisgarh.

सूर्यभान सिंह ठाकुर,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 मार्च 2017

क्रमांक 429/न.ग्रा.नि./2017.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि पामगढ़ निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये हैं और उसकी एक-एक प्रति कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा, जनपद पंचायत सभा कक्ष पामगढ़ एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय जांजगीर-चांपा (छ.ग.) में दिनांक 08-03-2017 से कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

अनुसूची

पामगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम चंडीपारा, कुटराबोड़ एवं बरगांव ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम कुटराबोड़, बरगांव एवं चेऊडीह ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम बरगांव, चेऊडीह एवं डोंगाखहरौद ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम डोंगाखहरौद, रोझनडीह एवं चंडीपारा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवसों की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त होगा उसे सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जांजगीर-चांपा (छ.ग.) द्वारा विचार किया जावेगा.

के. सी. भालराय,
सहायक संचालक.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जून 2017

क्र. 70/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2016.— अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय तथा अपने कृत्यों के निर्वहन में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 के अनुरूप पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए छ0ग0 राज्य विद्युत नियामक आयोग (आयोग) एतद द्वारा, विद्युत अधिनियम की धारा 181 (1) सहपठित छ0ग0 राज्य विद्युत नियामक आयोग (कोष का गठन एवं उसके उपयोग के तरीके), नियम, 2007 के नियम 8 तथा उसमे समय–समय पर होने वाले संशोधन एवं उसे इस हेतु सशक्त करने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग की गतिविधियों से जुड़े वित्तीय शक्तियों का, उन विभिन्न प्राधिकारियों, जो एतदर्थ उत्तरदायीं हो, द्वारा प्रयोग किए जाने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है:—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** — ये विनियम, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन) विनियम, 2016 कहलाएंगे। ये राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2. **परिभाषाएं** — इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों का निम्नांकित अर्थ होगा :—

(क) **"शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत शासन;

(ख) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 और इसमें सम्मिलित है, इसका कोई विधिक संशोधन, रूपांतरण और पुनः अधिनियमन;

(ग) **"आयोग"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग;

(घ) **"अध्यक्ष"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष;

(ड.) **"सदस्य"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का सदस्य;

(च) **"सचिव"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का सचिव अथवा आयोग का अन्य कोई अधिकारी जिसे सचिव की अनुपस्थिति में किसी सीमित अवधि के लिए अध्यक्ष द्वारा सचिव के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अधिकृत किया जाए;

(छ) **"उप सचिव"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का उप सचिव अथवा आयोग का अन्य कोई अधिकारी जिसे उप सचिव की अनुपस्थिति में किसी सीमित अवधि के लिए अध्यक्ष द्वारा उप सचिव के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अधिकृत किया जाए;

(ज) **"विभागाध्यक्ष"** से अभिप्रेत है, कोई अधिकारी जिसे अध्यक्ष द्वारा ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित की जाए;

(झ) **"वित्तीय वर्ष"** से अभिप्रेत है, प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल से और परवर्ती वर्ष की 31वीं मार्च;

(ञ) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियां जिनका उपयोग इन विनियमों में किया गया है और यहां परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का अभिप्राय वही होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

3. आयोग से संबंधित समस्त वित्तीय व्यय इन विनियमों के संलग्नक–अ में उल्लिखित वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसरण में किए जाएंगे।

4. आयोग के कामकाज की आवश्यकताओं के अनुसरण में, आयोग इन विनियमों में समुचित संशोधन करने हेतु सशक्त होगा। इन विनियमों के सुचारू कियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आयोग का सचिव भी समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी करने हेतु अधिकृत होगा।

5. **"शिथिल करने की शक्ति"** यदि इन विनियमों के किसी प्रावधान को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो आयोग अपने सामान्य अथवा विशेष आदेश से, अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न रहते हुए ऐसी कोई भी कार्यवाही कर सकेगा जो ऐसी कठिनाईयों को दूर करने हेतु आवश्यक अथवा समीचीन समझी जाए।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन विनियम,

संलग्नक–अ

क्र.	व्यय की मद	धनराशि की सीमा, जहां तक व्यय किया जा सकेगा			
		अध्यक्ष/सदस्य की शक्तियां	सचिव/विभागाध्यक्ष की शक्तियां	उप सचिवें की शक्तियां	नियम, आदेश, सीमाएं जिसके लिए व्यय किया जाएगा
1	2	3	4	5	6
1	**आकस्मिक व्यय अथवा अनिर्दिष्ट मदें**				
क	आवर्ती	पूर्ण शक्तियां	प्रत्येक प्रकरण में रू. 30,000/–	प्रत्येक प्रकरण में रू. 15,000/–	
ख	अनावर्ती	पूर्ण शक्तियां	प्रत्येक प्रकरण में रू. 50,000/–	प्रत्येक प्रकरण में रू. 25,000/–	
	मद–1 (ख) : अनावर्ती में सम्मिलित है आयोग के सदस्यों अथवा आयोग के कर्मचारियों द्वारा कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/बैठकों में भाग लेने के लिए प्रभारों का भुगतान और आयोग द्वारा स्वयं अथवा अन्य संस्थाओं के साथ संयुक्त रूप से कार्यशालाएं/संगोष्ठियां/बैठके आयोजित करने का व्यय भी।				
2	**मोटर वाहन**				
क	वाहनों का क्रय	पूर्ण शक्तियां	निरंक	निरंक	
ख	ईंधन क्रय सहित संधारण/संभारण और मरम्मत इत्यादि	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां	प्रति वाहन, प्रतिमाह रू. 15,000/–	
ग	वाहनों का अपलेखन	पूर्ण शक्तियां	निरंक	निरंक	छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा समय–समय पर विहित मानदण्डों के अनुसार
3	**कार्यालय उपकरण और कम्प्यूटर**				
क	प्रिंटर, इन्टरकाम उपरकण, गणक, मोबाईल, प्रतिलिपि यंत्र, फाइलिंग प्रणालियां, मुद्रण सामाग्रि आदि सहित समस्त कार्यालय उपकरणों का क्रय	पूर्ण शक्तियां	रू. 1,50,000/– वार्षिक	रू. 50,000/– वार्षिक	

क्र.	व्यय की मद	धनराशि की सीमा, जहां तक व्यय किया जा सकेगा			
		अध्यक्ष/सदस्य की शक्तियां	सचिव/विभागाध्यक्ष की शक्तियां	उप सचिव की शक्तियां	नियम, आदेश, सीमाएं जिसके लिए व्यय किया जाएगा
1	2	3	4	5	6
ख	कम्पयूटरों का क्रय (पर्सनल कम्प्यूटर, लेपटॉप, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर सहित)	पूर्ण शक्तियां	रू. 5,00,000/- वार्षिक	रू. 2,00,000/- वार्षिक	
ग	समस्त प्रकार के कम्प्यूटरों का संधारण, कार्टिजो की रीफीलिंग सहित	पूर्ण शक्तियां	रू. 5,00,000/- वार्षिक	रू. 25,000/- वार्षिक	
घ	वार्षिक संधारण संविदा	पूर्ण शक्तियां	निरंक	निरंक	
4	**फर्नीचर और जुड़नार**				
क	नवीन कार्यालय फर्नीचर और जुड़नार खरीद सहित कार्यालय सज्जा जिसमें डिजर्ट कूलर, रूम कूलर, एअर कंडीशनर्स और वाटर फील्टर आदि का क्रय सम्मिलित हैं।	पूर्ण शक्तियां	निरंक	निरंक	
ख	कार्यालय फर्नीचर और जुड़नार की मरम्मत	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां	रू. 25,000/- वार्षिक	
ग	कार्यालय फर्नीचर, हीटर, डिजर्ट कूलर, रूम कूलर, एअर कंडीशनर्स आदि सहित किराए पर लेना	पूर्ण शक्तियां	रू. 50,000/- वार्षिक	रू. 20,000/- वार्षिक	
5	**लेखन सामाग्री का क्रय**				
क	दैनंदिन कार्यो हेतु कार्यालय में लेखन सामाग्री भण्डर क्रय	पूर्ण शक्तियां	रू. 1,50,000/- वार्षिक	रू. 50,000/- वार्षिक	
ख	लघु लेखन सामाग्री भण्डार हेतु स्थानीय क्रय	पूर्ण शक्तियां	रू. 2,50,000/- वार्षिक	रू. 75,000/- वार्षिक	
ग	रबर स्टाम्पों और कार्यालय मुद्राओं का स्थानीय क्रय	पूर्ण शक्तियां	रू. 2,,000/- वार्षिक	रू. 1,000/- वार्षिक	

क्र.	व्यय की मद	धनराशि की सीमा, जहां तक व्यय किया जा सकेगा			
		अध्यक्ष/सदस्य की शक्तियां	सचिव/विभागाध्यक्ष की शक्तियां	उप सचिव की शक्तियां	नियम, आदेश, सीमाएं जिसके लिए व्यय किया जाएगा
1	2	3	4	5	6
6	**मुद्रण/प्रकाशन/प्रचार**				
क	मुद्रण और जिल्दबंदी	पूर्ण शक्तियां	रू. 1,00,000/– वार्षिक	रू. 40,000/– वार्षिक	
ख	प्रकाशन	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां	रू. 25,000/– वार्षिक	
ग	विज्ञापन/प्रचार प्रभारों का भुगतान	पूर्ण शक्तियां	संविदा दर के अनुसार पूर्ण शक्तियां	निरंक	सी.एस.पी.एच.सी.एल. द्वारा समय–समय पर विहित दरों के आधार पर दर संविदा पुनरीक्षित की जाएगी
घ	डाक, कूरियर और स्टाम्प खरीद के व्यय	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां	अनुमोदित दरों के अनुसार पूर्ण शक्तियां	
7	**टेलीफोन और इन्टरनेट प्रभार**				
क	आवासीय टेलीफोन/इन्टरनेट कनेक्शन स्वीकृति, भारत सरकार के उप सचिव के समतुल्य वेतनमान में वेतन आहरित करने वाले अधिकारियों हेतु पृथक टेलीफोन लाईन सहित	पूर्ण शक्तियां	निरंक	निरंक	आयोग के आदेश और इसके समय–समय पर संशोधनों के अनुसार
ख	आवासीय टेलीफोन इन्टरनेट कनेक्शन स्वीकृति, उप सचिव से नीचे के वेतनमान में वेतन आहरित करने वाले अधिकारियों के प्रकरण में पृथक टेलीफोन लाईन सहित	पूर्ण शक्तियां	निरंक	निरंक	आयोग के आदेश और इसके समय–समय पर संशोधनों के अनुसार

क्र.	व्यय की मद	धनराशि की सीमा, जहां तक व्यय किया जा सकेगा			
		अध्यक्ष/सदस्य की शक्तियां	सचिव/विभागाध्यक्ष की शक्तियां	उप सचिव की शक्तियां	नियम, आदेश, सीमाएं जिसके लिए व्यय किया जाएगा
1	2	3	4	5	6
8	**गौण कार्य एवं मरम्मत**				
क	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग भवन में गौण कार्य और विशेष मरम्मत, बागवानी, सेनेटरी फिटिंग, जल प्रदाय और ऐसे भवनों में विद्युत प्रतिष्ठापन तथा ऐसे प्रतिष्ठापनों की मरम्मत	पूर्ण शक्तियां	रू. 5,00,000/– वार्षिक	रू. 1,00,000/– वार्षिक	
ख	भवन का कोई अन्य संपरिवर्तन/ रूपांतरण, जिसमें मुख्य प्रकृतिकी बागवानी सम्मिलित है	पूर्ण शक्तियां	रू. 5,00,000/– वार्षिक	रू. 1,00,000/– वार्षिक	
ग	कोई अन्य अनुबंधित कार्य (जैसेः बागवानी कार्य, सुरक्षा कार्य, साफ–सफाई कार्य इत्यादि)	पूर्ण शक्तियां	रू. 5,00,000/– वार्षिक	रू. 1,00,000/– वार्षिक	
9	**विविध शुल्क/व्यय**				
क	विद्युत, गैस और जल प्रभार	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां	
ख	नगरपालिक दरें और टैक्स	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां	
ग	भाड़ा और डेमरेज/वारफेज प्रभार	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां	निरंक	
घ	बैठकों के दौरान दोपहर भोज, रात्रि भोज और जलपान	पूर्ण शक्तियां	रू. 8,000/– प्रति अवसर	रू. 5,000/– प्रति अवसर	
10	**विधिक प्रभार**				
क	बैरिस्टरों, अभिभाषकों, अधिवक्ताओं, मध्यस्थों और अंपायरों को लगाया जाना	पूर्ण शक्तियां	निरंक	निरंक	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग विनियम और इसके संशोधनों के अनुसार
ख	अन्य विधिक प्रभार	पूर्ण शक्तियां	निरंक	निरंक	

क्र.	व्यय की मद	धनराशि की सीमा, जहां तक व्यय किया जा सकेगा			
		अध्यक्ष/सदस्य की शक्तियां	सचिव/विभागाध्यक्ष की शक्तियां	उप सचिव की शक्तियां	नियम, आदेश, सीमाएं जिसके लिए व्यय किया जाएगा
1	2	3	4	5	6
ग	अपने कार्यालयीन दायित्वों के निर्वहन में आयोग के कर्मचारी द्वारा संबंधित प्रकरणों में किए गए विधिक व्यय की प्रतिपूर्ति	पूर्ण शक्तियां	निरंक	निरंक	
11	परामर्श प्रभारों का भुगतान	पूर्ण शक्तियां	निरंक	निरंक	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विरचित सुसंगत विनियमों के अनुसरण में नियुक्त किया जाएगा
12	आकस्मिकता से आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों का कल्याण/ पुरस्कार	पूर्ण शक्तियां	निरंक	निरंक	
13	मानदेय	पूर्ण शक्तियां	निरंक	निरंक	
14	**चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति**				
क	शासन के समस्त चिकित्सालय एवं राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अनुमोदित चिकित्सालय।	छत्तीसगढ़ सरकार चिकित्सा विनियमों में यथा विहित पूर्ण शक्तियां और छत्तीसगढ़ चिकित्सा नियम के प्रावधानों में अन्य कोई छूट	छत्तीसगढ़ चिकित्सा नियमों के अनुसार पूर्ण शक्तियां	छत्तीसगढ़ चिकित्सा नियमों के अनुसार पूर्ण शक्तियां	
ख	विद्युत कंपनी अस्पताल और नाम निर्दिष्ट अस्पतालों से	पूर्ण शक्तियां	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी के डॉक्टरों द्वारा अनुमोदित राशि की सीमा के अधीन पूर्ण शक्तियां	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी के डॉक्टरों द्वारा अनुमोदित राशि की सीमा के अधीन पूर्ण शक्तियां	
15	परिवहन/वाहन का भाड़ा	पूर्ण शक्तियां	निरंक	निरंक	

क्र.	व्यय की मद	धनराशि की सीमा, जहां तक व्यय किया जा सकेगा			
		अध्यक्ष/सदस्य की शक्तियां	सचिव/विभागाध्यक्ष की शक्तियां	उप सचिव की शक्तियां	नियम, आदेश, सीमाएं जिसके लिए व्यय किया जाएगा
1	2	3	4	5	6
16	कार्यालयीन बैठकों हेतु जलपान पर व्यय	पूर्ण शक्तियां	रू. 1,00,000/– वार्षिक	रू. 50,000/– वार्षिक	
17	अप्रचलित आधिक्य अथवा अनुपयोगी भण्डार और स्पेयर का व्ययन	पूर्ण शक्तियां	रू. 50,000/– वार्षिक	रू. 25,000/– वार्षिक	
18	धनराशि का पुनर्विनियोग	पूर्ण शक्तियां	निरंक	निरंक	
19	पुस्तकें, नियतकालीन पत्रिकाएं और समाचार पत्र	पूर्ण शक्तियां	रू. 15,000/– वार्षिक	रू. 10,000/– वार्षिक	
20	**यात्रा व्यय**				
क	घरेलू यात्रा व्यय	पूर्ण शक्तियां	छत्तीसगढ़ सरकार के यात्रा भत्ते नियम के अनुसार, अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित यात्रा कार्यकम के अध्यधीन	छत्तीसगढ़ सरकार के यात्रा भत्ते नियम के अनुसार, अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित यात्रा कार्यकम के अध्यधीन	
ख	विदेश यात्रा व्यय	पूर्ण शक्तियां	छत्तीसगढ़ सरकार के यात्रा भत्ते नियम के अनुसार, अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित यात्रा कार्यकम के अध्यधीन	निरंक	

टीप : समस्त प्रत्यायोजित व्यय आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक लेखे, अंकेक्षण और आय–व्ययक) नियम, 2007 के प्रावधानों के अधीन बजट स्वीकृति के अध्यधीन हैं।

Raipur, the 2nd June 2017

No. 70/CSERC/2016- In accordance with section 86 of the Electricity Act to ensure transparency while exercising its power and discharging its function Commission hereby in exercise of the power conferred by Section 181 (1) of the Electricity Act, 2003 and all powers enabling in this behalf, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission makes the following Regulations to carry out the function of the Commission read with Rule-8 of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Constitution of Fund and the manner of application of fund) Rules, 2007 and its amendment regarding financial powers to the various authorities responsible for exercising the financial powers in connection with affairs of the Commission.

1. **Short title and Commencement:-** These Regulations shall be called the CHHATTISGARH State Electricity Regulatory Commission. (Delegation of Financial Powers) Regulations, 2016. They shall be deemed to be in force with effect from the date of publication in the official gazette.

2. **Definitions :-** In these regulations the words used shall have the following meanings:

   a. **Government** shall mean Government of Chhattisgarh (GoCG) and Govt of India

   b. **Act** shall mean the Electricity Act, 2003 and shall include any statutory amendment, modification and re-enactment thereof.

   c. **Commission** shall mean Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC).

   d. **Chairperson** shall mean Chairperson of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission.

   e. **Member** shall mean Member of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission.

   f. **Secretary** shall mean Secretary of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission or any other officer of the Commission authorized by the Chairperson to discharge the responsibilities of the Secretary in his/her absence for a limited period.

   g. **DY. Secretary** shall mean Dy.Secretary of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission or any other officer of the Commission authorized by the Chairperson to discharge the responsibilities of the Dy.Secretary in his/her absence for a limited period.

   h. **Head of the department** shall mean any officer to whom such powers may be delegated by the Chairperson.

   i. **Financial Year** means 1st April of every year and ending on 31st March of subsequent year.

   j. Words or expressions occurring in these regulations and not defined here in but defined in the Act shall bear the same meaning as in the Act.

3. All financial expenditures relating to the affairs of the commission shall be made in accordance with the delegation of financial powers mentioned in appendix A to these regulations.

4. The Commission shall have powers to make suitable amendments to these regulations from time to time in accordance with requirements of the functioning of the Commission. The Secretary of the Commission shall also have the authority to issue directives from time to time in order to ensure smooth implementation of these regulations.

5. **POWER TO RELAX :** If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these regulations, the Commission may, by general or special order, do anything not being inconsistent with the provisions of the Act, which appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulties.

CHHATTISGARH STATE ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION DELEGATION OF FINANCIAL POWERS REGULATIONS

APPENDIX A

Sl. No.	Item of Expenditure	Monetary limit up to which expenditure can be incurred			
		Powers of the Chairperson/ Member	Powers of the Secretary / Head of the Department	Powers of Deputy Secretary	Rules, orders, restrictions or which the expenditure shall be incurred
1	2	3	4	5	6
1	**Unspecified items or contingent expenditure:**				
(a)	Recurring	Full powers	Rs. 30,000/- in each case	Rs. 15,000/- in each case	
(b)	Non-Recurring	Full powers	Rs. 50,000/- in each case	Rs. 25,000/- in each case	
	Item 1(b): Non-recurring includes the payment of charges for attending workshops / seminars / meetings either by the Commission Members or officials of the Commission and also the cost of holding Workshops/Seminars/Meetings either by the Commission or jointly with any other Institutions.				
2	**Motor Vehicles:**				
(a)	Purchase of Vehicles	Full powers	Nil	Nil	
(b)	Maintenance, upkeep and repairs including purchase of Fuel	Full powers	Full powers	Rs. 15,000/-per month (p.m.) per Vehicles	
(c)	Condemnation of Vehicles	Full powers	Nil	Nil	As norms prescribed by GoCG time to time.

Sl. No.	Item of Expenditure	Monetary limit up to which expenditure can be incurred			
		Powers of the Chairperson/ Member	Powers of the Secretary / Head of the Department	Powers of Deputy Secretary	Rules, orders, restrictions or which the expenditure shall be incurred
1	2	3	4	5	6
3	**Office Equipments and Computers :**				
(a)	Purchase of all office equipments including, printers, intercom equipments, calculators, mobile, copying machines, filling systems, printing accessories etc.	Full powers	Rs.1,50,000/- per annum (p.a.)	Rs.50,000/- p.a.	
(b)	Purchase of Computers (including personal Computers & Lap tops, hardware and software)	Full powers	Rs.5 lakhs p.a	Rs. 2 lakhs p.a.	
(c)	Maintenance of Computers of all kinds including re-filling of cartridges.	Full powers	Rs.50,000/ p.a	Rs.25,000/-p.a.	
(d)	Annual Maintenance Contract	Full powers	Nil	Nil	
4	**Furniture and Fixtures:**				
(a)	Setting up of the office including procurement of new office furniture and fixtures, including purchase of Desert Cooler, Room Cooler, Air conditioner, water filter etc.	Full powers	Nil	Nil	
(b)	Repair of Office Furniture and Fixtures.	Full powers	Full powers	Rs.25,000/- p.a.	
(c)	Hire of office furniture, heater, coolers including Desert Cooler, Room Cooler, Air conditioner etc.	Full powers	Rs.50,000/ p.a.	Rs.20,000/- p.a.	

Sl. No.	Item of Expenditure	Monetary limit up to which expenditure can be incurred			
		Powers of the Chairperson/ Member	Powers of the Secretary / Head of the Department	Powers of Deputy Secretary	Rules, orders, restrictions or which the expenditure shall be incurred
1	2	3	4	5	6
5	**Purchase of Stationery:**				
(a)	Purchase of stationery stores uses in office for day to day functions.	Full powers	Rs.1,50,000/- p.a.	Rs.50,000/- p.a.	
(b)	Local Purchase of petty stationery stores.	Full powers	Rs. 2.5 lakh p.a.	Rs.75,000/- p.a.	
(c)	Local Purchase of rubber stamps and office seals.	Full powers	Rs.2,000/- p.a.	Rs.1,000/- p.a.	
6	**Printing/Publication/Publicity:**				
(a)	Printing and Binding	Full powers	Rs. 1 lakh p.a.	Rs. 40,000/- p.a.	
(b)	Publication	Full powers	Full powers	Rs.25,000/- p.a.	
(c)	Payment of Advertisement / Publicity charges	Full powers	Full powers subject to rate contract.	Nil	Rate contract shall be revised on the basis of rate prescribed by the CSPHCL from time to time.
(d)	Postal, currier and purchase of stamps expenses	Full powers	Full powers	Full powers subject to approved rate	
7	**Telephone & Internet Charges:**				
(a)	Sanction of residential telephones / internet connections with separate telephones line in case of officers drawing salary in the scale equivalent to that of Dy. Secy. In the Govt. of India or above.	Full powers	Nil	Nil	As per the Commission order and its amendment from time to time.
(b)	Sanction of residential telephones / internet connections with separate telephones line in case of officers drawing salary in the scale below to that of Dy. Secretary.	Full powers	Nil	Nil	As per the Commission order and its amendment from time to time.
8	**Petty Works and Repairs:**				

Sl. No.	Item of Expenditure	Monetary limit up to which expenditure can be incurred			
		Powers of the Chairperson/ Member	Powers of the Secretary / Head of the Department	Powers of Deputy Secretary	Rules, orders, restrictions or which the expenditure shall be incurred
1	2	3	4	5	6
(a)	Execution of petty works and special repairs to CSERC building, including gardening, sanitary fittings, water-supply and electric installations in such buildings and repairs to such installations including security and surveillance.	Full powers	Rs. 5,00,000/ p.a.	Rs. 1,00,000/ p.a.	
(b)	Any other alteration/ modification of building including gardening in capital nature.	Full powers	--do--	--do--	
(c)	Any other contract work including, horticulture, security, housekeeping etc	Full powers	--do--	--do--	
9	**Miscellaneous Charges / expenses:**				
(a)	Electric, Gas and water charges	Full powers	Full powers	Full powers	
(b)	Municipal Rates and Taxes	--do--	--do--	--do--	
(c)	Freight and demurrage / wharfage charge	--do--	--do--	Nil	
(d)	For Lunch, Dinner and refreshment during meetings	--do--	Rs. 8,000/- per occasion	Rs. 5,000/- per occasion	
10	**Legal Charges:**				
(a)	Hiring of legal consultants including Barristers, Advocates, Pleaders, arbitrators and umpires	Full powers	Nil	Nil	As per CSERC regulation and its amendment.
(b)	Other Legal Charges	--do--	--do--	--do--	

Sl. No.	Item of Expenditure	Monetary limit up to which expenditure can be incurred			
		Powers of the Chairperson/ Member	Powers of the Secretary / Head of the Department	Powers of Deputy Secretary	Rules, orders, restrictions or which the expenditure shall be incurred
1	2	3	4	5	6
(c)	Reimbursement of legal expenses incurred by Commission employees in cases relating to discharge of their official duties.	Full powers	Nil	Nil	
11	Payment of Consultancy Charges	Full powers	Nil	Nil	The appointments shall be made in accordance with relevant regulations framed by CSERC.
12	Welfare / Reward to the officers / staffs of the Commission from contingencies	Full powers	Nil	Nil	
13	Honorarium	Full powers	Nil	Nil	
14	**Reimbursement of Medical Expenses:**				
(a)	All Govt. Hospital and State Govt. nominated Hospitals	Full powers as laid down in GoCG Medical Rule and any other relaxation from provisions of GoCG Medical rule	Full powers as per GoCG Medical Rules	Full powers as per GoCG Medical Rules	
(b)	From Power Cos. Hospital and nominated Hospitals	Full powers	Full powers subject to amount approved by Chhattisgarh State Power Holding Company Limited (CSPHCL) Doctors.	Full powers subject to amount approved by CSPHCL Doctors.	
15	Conveyance/ Hire of vehicle	Full powers	NIL	NIL	
16	Expenditure for refreshment for official meetings	Full powers	Rs. 100,000/- p.a.	Rs. 50,000/-p.a.	

Sl. No.	Item of Expenditure	Monetary limit up to which expenditure can be incurred			
		Powers of the Chairperson/ Member	Powers of the Secretary / Head of the Department	Powers of Deputy Secretary	Rules, orders, restrictions or which the expenditure shall be incurred
1	2	3	4	5	6
17	Disposal of obsolete surplus or unserviceable stores & Spares	Full powers	Rs. 50,000/-at a time	Rs. 25,000/- at a time	
18	Re-appropriation of Fund	Full powers	Nil	Nil	
19	Books periodicals magazines and newspapers	Full powers	Rs. 15,000/- p.a.	Rs. 10,000/-p.a.	
20	Travelling Expenses				
(a)	Domestic Travel Expenses	Full powers	As per Travelling Allowance (T.A.) Rules of GoCG subject to approval of tour programme by the Chairperson	As per T.A. Rules of GoCG subject to approval of tour programme by the Chairperson	
(b)	Foreign Travel Expenses	Full powers	--- do---	Nil	

- **Note:** All delegated expenses are subject to approval of Budget by Commission under the provision of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Annual Accounts, Audit and Budget) Rules, 2007.

रायपुर, दिनांक 2 जून 2017

क्र. 76/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2016.– विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 एवं सहपठित धारा 181 एवं अन्य प्रदत्त शक्तियों के तहत् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा निम्न विनियम संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतो के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रकिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2015 बनाता है (यहां के बाद मूल विनियम) नाम से –

1. **संक्षिप्त शीर्षक, परिभाषा एवं प्रारंभ**

1.1 ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतो के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रकिया तथा निबंधन एवं शर्तें) प्रथम संशोधन विनियम 2016 कहलाएंगे।

1.2 ये विनियम 1 अप्रैल 2016 से प्रभावशील होंगे।

1.3 इस विनियम में प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियां जो यहां परिभाषित नहीं है वही अर्थ रखेगी जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतो के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रकिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2015 (यहां के उपरांत प्रथम संशोधन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतो के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रकिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2016 में होगा।

2. मूल अधिनियम की कंडिका 13.1 में निम्न प्रावधान सन्निवेश किया जायेगा अर्थात्:–

परंतु यह कि लाभ एवं हानि की गणना संचालन एवं संधारण खर्च में करते समय कर्मचारी लागत को विभक्त नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :–

क्रमांक	विवरण	राशि (करोड़ो में)
1	कर्मचारी लागत	65.00
2	मरम्मत एवं संधारण	25.00
3	प्रशासनिक व्यय	10.00
4	कुल संचालन एवं संधारण व्यय	100.00

वास्तविकीकरण के समय परिदृश्य – I

क्रमांक	विवरण	वार्षिक राजस्व आवश्यकता	वास्तविक व्यय	लाभ/(हानि)	वार्षिक राजस्व आवश्यकता वास्तविकीकरण के उपरांत
1	कर्मचारी लागत	65.00	66.00		66.00
2	मरम्मत एवं संधारण	25.00	22.00	3.00	25.00
3	प्रशासनिक व्यय	10.00	12.00	(2.00)	10.00
4	कुल संचालन एवं संधारण व्यय	100.00	100.00	1.00	101.00
5	जोड़े लाभ/ (हानि) का अंश (50:50)				(0.50)
6	कुल संचालन एवं संधारण व्यय अनुमति योग्य				100.50

वास्तविकीकरण के समय परिदृश्य – II

कमांक	विवरण	वार्षिक राजस्व आवश्यकता	वास्तविक व्यय	लाभ/(हानि)	वार्षिक राजस्व आवश्यकता वास्तविकीकरण के उपरांत
1	कर्मचारी लागत	65.00	63.00		63.00
2	मरम्मत एवं संधारण	25.00	24.00	1.00	25.00
3	प्रशासनिक व्यय	10.00	13.00	(3.00)	10.00
4	कुल संचालन एवं संधारण व्यय	100.00	100.00	(2.00)	98.00
5	जोड़े लाभ/ (हानि) का अंश (50:50)				1.00
6	कुल संचालन एवं संधारण व्यय अनुमति योग्य				99.00

और यह कि नये उत्पादन संयंत्र जिसके संचालन एवं संधारण मूल्य धारा 38.5 1(ब) में निर्दिष्ट मापदंडो के अनुसार निर्धारण की जाती है, उनके सत्यापन कर्मचारी लागत के अनुसार किया जाये तथापि वेतन पुनरीक्षण का असर एवं कर्मचारियों को देय बकाया राशि (यदि हो) का भार उस नियंत्रण अवधि मे मान्य किया जावे।

3. मूल विनियम की कंडिका 25.01 (ड.) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण सन्निवेश किया जावे:–

स्पष्टीकरण :–

क्रमांक	विवरण	वार्षिक राजस्व आवश्यकता (राशि करोड़ में)	
		परिदृश्य–1	परिदृश्य–2
1.	कुल कार्यशील पूंजी की आवश्यकता	400.00	400.00
2.	घटाए : उपभोक्ता का सुरक्षा निधि	350.00	450.00
3.	वास्तविक कार्यशील पूंजी	50.00	(50.00)
4.	ब्याज दर	13.20%	13.20%
5.	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	6.60	(6.60)

4. मूल विनियम की कंडिका 67.3 में निम्नलिखित उपबन्ध का सन्निवेष किया जावे:–

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित द्वारा अपने प्रत्येक तापीय विद्युत केन्द्र के लिए प्रत्येक माह हेतु पृथकतः परिगणित किया जाएगा और द्वैमासिक राशि का निर्धारण हेतु इसे जोड़ दिया जाएगा। किसी माह के लिए CHFC की गणना निम्नानुसार की जाएगी:–

CHFC, (रूपयों में) = माह के लिए अनुसूचित ऊर्जा (एक्स बस)X मासिक ऊर्जा प्रभार दर में परिवर्तन,

मासिक ऊर्जा प्रभार में अंतर = ECR (T) - ECR (M)

जहां,

ECR (T) = मासिक ऊर्जा प्रभार, टैरिफ ओदश में उस विशिष्ट संयंत्र के लिए विनिर्दिष्ट

ECR (M) = विशिष्ट संयंत्र हेतु विशिष्ट माह के लिए निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिगणित ECR

ECR (M) ¾ {(GHR – SFC x CVSF) x LPPF / CVPF } x 100 / (100 – AUX)

जहां,

AUX = मानदंडीय सहायक विद्युत खपत, प्रतिशत में

CVPF = जलाए गए प्राथमिक ईंधन का वास्तविक भारांकित औसत सकल कैलोरी मूल्य, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, प्रति लीटर या प्रति मानक घन मीटर

CVSF = द्वितियक ईंधन का कैलोरी मूल्य, किलो कैलोरी प्रति मिलीलीटर में, टैरिफ आदेश में यथा विचारित

GHR = सकल केन्द्र ऊष्मा दर, (ग्रास स्टेशन हिट रेट) किलो कैलोरी प्रति किलोवाट अव्हर में टैरिफ आदेश में यथा अनुमत

LPPF = प्राथमिक ईंधन का भारांकित औसत प्राप्ति मूल्य, प्रति किलोग्राम, रूपयों में

SFC = मानदण्डीय विशिष्ट ईंधन तेल खपत, मिलीलीटर प्रति किलोवाट अव्हर में

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित मानदण्डीय जी.एस.एच.आर., मानदण्डीय सहायक खपत, मानदण्डीय विशिष्ट द्वितीयक ईंधन तेल खपत, कोयले की वास्तविक भारांकित औसत जी.सी.व्ही. और वास्तविक प्राथमिक ईंधन का भारांकित औसत प्राप्ति मूल्य, के आधार पर ई.सी.आर. तैयार करेगा।

5. मूल विनियम की कंडिका 71.3 में निम्नलिखित उपबन्ध का सन्निवेश किया जावे:–

और यह कि यदि राज्य की उपयोगिता का कोई अनुबंध भारत सरकार और/अथवा छत्तीसगढ़ सरकार से है और इस अनुबंध में ऊर्जा हानि संबंधी प्रक्षेप वक्र इस विनियम में निर्दिष्ट ऊर्जा हानि प्रक्षेप वक्र के विपरित है तो अनुबंध में सहमत ऊर्जा हानि प्रक्षेप वक्र विनियम में दर्शाए गए ऊर्जा हानि प्रक्षेप वक्र की अपेक्षा अभिभावी होगा।

6. मूल विनियम की कंडिका 75.1 में निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात्

अ) राज्य भार प्रेषण केन्द्र के द्वारा इस विनियम द्वारा निर्धारित शुल्क एवं प्रभार लिया जाएगा।

ब) राज्य भार प्रेषण केन्द्र इस विनियम में निर्दिष्ट पंजीकरण शुल्क का निर्धारण एवं वसूली उत्पादन कंपनियों एवं अनुज्ञप्तिधारियों से करेगा। पंजीकरण शुल्क का निर्धारण एवं वसूली उनसे नहीं किये जावेंगे जिन पर विनियम की कंडिका 2.2 लागू नहीं होती है।

स) राज्य भार प्रेषण केन्द्र अन्य विनियमों में निर्दिष्ट उत्पादन कंपनियों, अनुज्ञप्तिधारियों एवं पावर एक्सचेंज से शुल्क एवं प्रभार निर्धारण तथा वसूली हेतु प्राधिकृत होगा।

7. मूल विनियम की कंडिका 75.7 को निम्नलिखित कंडिका से प्रतिस्थापित किया जावे अर्थात् :

पंजीकरण शुल्क

अ) सभी उत्पादन कंपनियों एवं अनुज्ञप्तिधारी (विनियम 2.2 में उल्लेखित को छोड़कर) जो अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली से जुड़ना चाहते है वे अपना स्वयं का पंजीकरण राज्य भार प्रेषण केन्द्र से कराने हेतु विनियम में निर्धारित प्रारूप V में आवेदन प्रस्तुत करेंगे। यह पंजीकरण दस वर्षो की अवधि के लिए मान्य होगा एवं उसके पश्चात्

उसका नवीनीकरण आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क एवं प्रभार का भुगतान किया जावेगा परंतु यह कि पूर्व से ही राज्य भार प्रेषण केन्द्र में पंजीकृत सभी उत्पादन कंपनियों एवं अनुज्ञप्तिधारियों का पंजीकरण दिनांक से दस वर्षो के लिए वैध होगा।

टीपः मालिकाना हक में परिवर्तन/अंतरण को राज्य भार प्रेषण केन्द्र को सूचित किया जाना आवश्यक होगा।

ब) विद्युत उत्पादन संयंत्र (केप्टिव उत्पादन संयंत्रो को समाहित करते हुए) पंजीकरण हेतु आवेदन 50 मेगावाट या उससे अधिक की स्थापित क्षमता हेतु रू. 10 लाख या 50 मेगावाट से कम स्थापित क्षमता हेतु रू. 5 लाख शुल्क के साथ जमा करेंगे।

परंतु यह कि नवीकरणीय ऊर्जा आधारित ग्रिड से संयोजित विद्युत उत्पादन संयंत्रों को अपने उत्पादन इकाइयों को पंजीकरण राज्य भार प्रेषण केन्द्र में रु. 2 लाख भुगतान कर करना होगा (स्थापित क्षमता को विचार किए बिना)। नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन कंपनियों की इस आशय का प्रमाण पत्र राज्य नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

परंतु यह कि अकेले चल सकने योग्य उत्पादक जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र की सेवाओं का उपयोग विद्युत के मापन अथवा लेखांकन, **RE** प्रमाण पत्र अथवा अन्य किसी प्रयोजन हेतु जो कि आयोग द्वारा समय-समय पर आदेशित हो उन्हें भी राज्य भार प्रेषण केन्द्र में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। उक्त स्थिति में स्थापित क्षमता का विचार किये बिना रु. 1 लाख शुल्क लागू होगा।

(स) समस्त उत्पादन कंपनियों एवं अनुज्ञप्तिधारियों जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र की सेवाये लेना चाहते है उनका रु. 10 लाख पंजीकरण शुल्क होगा।

(द) उत्पादन कंपनियों (केप्टिव उत्पादन संयंत्रो सहित) एवं अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं करने की दशा में राज्य भार प्रेषण केन्द्र आयोग के संज्ञान में यह बात ला सकता है।

(इ) राज्य भार प्रेषण केन्द्र समस्त आवेदनों की जांच करने के पश्चात एवं उसमे प्रस्तुत जानकारियों के सही पाये जाने पर आवेदन का पंजीकरण करेगा और आवेदक को तत्संबंध में स्वीकृति बाबत् सूचित करेगा।

(ई) एक बार भुगतान किया हुआ पंजीकरण शुल्क वापस नहीं किया जावेगा। यदि उत्पादन केन्द्र अपनी क्षमता जो कि 50 मेगावाट से कम है को 50 मेगावाट से ज्यादा करता है तो अंतर की राशि रु. 5 लाख का भुगतान करना होगा।

(उ) राज्य भार प्रेषण केन्द्र सभी पंजीकृत उत्पादन कंपनियों एवं अनुज्ञप्तिधारियों की सूची अपने वेबसाईट पर संधारित करेगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र उत्पादन केन्द्र और राज्य आंतरिक पारेषण नेटवर्क से संयोजित अनुज्ञप्तिधारियों एवं वितरण नेटवर्क और उसके द्वारा निगरानीकृत/सेवाकृत के बारे में समेकित जानकारी आयोग को प्रतिवर्ष अप्रैल माह के अंत तक प्रस्तुत करेगा।

(ऊ) राज्य भार प्रेषण केन्द्र पंजीयन हेतु समस्त आवेदनों का निपटारा 30 दिवसों के भीतर कर देगा। विचारण में विलम्ब अथवा इन्कार करने की स्थिति में राज्य भार प्रेषण केन्द्र, आवेदक

को उसके बारे में वैध कारणों सहित, उपर्युक्त समय–सीमा पूरी होने के 05 कार्य दिवसों के भीतर सूचित करेगा।

टीप: समस्त उत्पादन कंपनियों एवं अनुज्ञप्तिधारियों को राज्य भार प्रेषण केन्द्र के पास पंजीयन कराना आवश्यक होगा। इनमें उत्पादन संयंत्र, केप्टिव उत्पादन संयंत्र, राज्य ग्रिड से सीधे संयोजित अनुज्ञप्तिधारी, एकल उत्पादन संयंत्र जो नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र की सेवाओं और अन्य राज्यांतरिक एकक (entity) प्रयोग करते है, सम्मिलित होंगे।

No. 76/CSERC/2016.-In exercise of powers conferred under section 61 read with Section 181 of the Electricity Act 2003 and all other powers enabling it in this behalf, the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, to amend "Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulations, 2015" (herein after referred to as "the Principal Regulations"), namely-

1. **Short title, Definition and commencement:**

1.1 This Regulation shall be called the "Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) First Amendment- Regulations, 2016.

1.2 This shall be effective from 1st April 2016.

1.3 All other words and expressions used in this Code, but not defined, shall have the same meaning as is in the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulations, 2015 (herein after referred to as 1st Amendment in Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulations, 2016.

2. In Clause 13.1 of the principal Regulations, ,the following proviso shall be inserted, namely:-

Provided further that employee cost shall not be factored in for sharing of gains or losses on account of Operation & Maintenance expenses,

Illustration:

Sl. No.	Particular	Amount (Rs. in Crores)
1	Employee Cost	65.00
2	Repair & Maintenance	25.00
3	Administration Expenses	10.00
4	Total O & M Expenses	100.00

At the time of True up Scenario – I

Sl. No.	Particular	ARR	Actual Exp.	Gain/ (Loss)	ARR after True up
1	Employee Cost	65.00	66.00		66.00
2	Repair & Maintenance	25.00	22.00	3.00	25.00
3	Administration Expenses	10.00	12.00	(2.00)	10.00
4	Total O & M Expenses	100.00	100.00	1.00	101.00
5	Add: Sharing of Gain/ (Loss) @ (50:50)				(0.50)
6	Total O&M Allowable				100.50

At the time of True up Scenario – II

S. No.	Particular	ARR	Actual Exp.	Gain/ (Loss)	ARR after True up
1	Employee Cost	65.00	63.00		63.00
2	Repair & Maintenance	25.00	24.00	1.00	25.00
3	Administration Expenses	10.00	13.00	(3.00)	10.00
4	Total O & M Expenses	100.00	100.00	(2.00)	98.00
5	Add: Sharing of Gain/(Loss) @ (50:50)				1.00
6	Total O&M Allowable				99.00

Provided that for new generating station whose O&M cost is determined as per norms specified in clause 38.5.1 (b) of this regulation, truing up shall be done considering the employee cost, however, impact of pay revision inclusive of arrears paid (if any) to the employees during the control period shall be passed through.

3. In Clause 25.1 (e) of the principal Regulations, the following illustration shall be inserted:-

Illustration:

Sl. No.	Particular	ARR (Rs. In Crores)	
		Scenario - I	Scenario – II
1.	Total Working Capital requirement	400.00	400.00
2.	Less: Consumer Security Deposit	350.00	450.00
3.	Net Working Capital	50.00	(50.00)
4.	Rate of Interest	13.20%	13.20%
5.	Working Capital Interest	6.60	(6.60)

4. For Clause 67.3 of principal Regulations, the following Clause shall be substituted namely:-

The CHFC shall be calculated by the CSPGCL for each of its thermal stations separately for each month and then summed up for determination of the bi-monthly amount. The CHFC for a month shall be calculated as under: -

CHFC in Rs. = Scheduled energy (ex-bus) for the month X difference in monthly Energy Charge Rate (ECR),

Difference in monthly ECR = ECR (T) – ECR (M)

Where,

ECR (T) = ECR specified for the particular plant in the tariff order.

ECR (M) = Computed ECR for the particular plant for the particular month as per formula given below.

ECR (M) = {(GHR – SFC x CVSF) x LPPF / CVPF} x 100 / (100 – AUX)

Where,

AUX = Normative auxiliary energy consumption in percentage.

CVPF = Actual Weighted average Gross calorific value of primary fuel as fired, in kCal per kg

CVSF = Calorific value of secondary fuel as considered in the tariff order, in kCal per ml.

GHR = Normative Gross station heat rate allowed in the Tariff order, in kCal per kWh.

LPPF = Actual Weighted average landed price of primary fuel, in Rupees per kg.

SFC = Normative Specific fuel oil consumption, in ml per kWh.

The CSPGCL shall work out the ECR on the basis of normative GSHR, normative auxiliary consumption, normative specific secondary fuel oil consumption, normative weighted average GCV of secondary fuel oil as indicated in the tariff order, actual weighted average GCV of primary fuel (the Coal) as fired and actual landed price of the primary fuel (LPPF).

5. In Clause 71.3 of the principal Regulations, the following proviso shall be inserted namely:-

Provided that if the State utility enters into any agreement with Government of India and/or Chhattisgarh Government and energy loss trajectory committed in this agreement is contrary to that as specified in this Regulations, the energy loss trajectory agreed under the agreement shall prevail over the energy loss specified in this Regulations.

6. For Clause 75.1 of principal regulation, following clause shall be substituted, namely-

a) SLDC shall collect the fees and charges, as determined under these regulations.

b) SLDC shall levy and collect registration fees from the generating companies and licensees as specified in these regulations. Registration fees shall not be levied and collected from those to whom these regulations do not apply as per Regulation 2.2.

c) SLDC shall be entitled to levy and collect fees and charges from the generating companies, licensees, and power exchanges as specified in any other regulations.

7. For Clause 75.7 of principal regulation ,the following clause shall be substituted, namely:-

Registration fees:

a) All generating companies and licensees (excluding those covered in Regulation 2.2) intending to get connected to the intra-state transmission system or distribution system shall register themselves with the SLDC by filing application in the format specified as Appendix-V to these Regulations. The registration will be valid for the period of ten years and thereafter renewal of registration shall be done in the manner as specified above and on payment of fees and charges as decided by the Commission.

Provided that the registration of all generating companies and licensees already registered with the SLDC will be valid for the period of ten years from the date of registration.

Note: Transfer/change of ownership need to be intimated to SLDC.

b) The application for registration for power generating plant (including captive generating plant) shall be accompanied by fees of Rs 10 lakh for installed capacity of 50 MW and above, or Rs 5 lakh for installed capacity below 50 MW.

Provided that renewable energy based grid connected power generating plant shall be required to register their power generating stations with SLDC on payment of Rs. 2 lakh, (irrespective of the installed capacity). The renewable energy based power generating company shall have to submit a certificate of eligibility as a renewable energy generating plant duly certified by the State Nodal agency i.e. Chhattisgarh Renewable Energy Development Agency (CREDA).

Provided, that the stand-alone generators who avail services of SLDC for energy metering or accounting for the purpose of RE Certificates or any other such purposes as may be mandated by the Commission from time to time shall also be required to get registered with the SLDC. The fee in such cases shall be Rs. 1 lakh irrespective of the installed capacity of the plant.

c) The registration fees for all generating companies and licensees intending to avail services of SLDC shall be Rs. 10 lakh.

d) In case of default in payment of registration fees by the generating companies (including captive generating plant) and licensees the SLDC may make a reference to the Commission.

e) The SLDC, after scrutinizing application and after being satisfied with correctness of the information furnished in the application shall register the applicant in its register duly intimating the applicant about its acceptance.

f) The registration fees once paid will not be refunded. In case the generating station enhances its capacity from less than 50 MW to 50 MW & above, a differential amount of Rs. 5 lakh shall be payable.

g) SLDC shall maintain a list of all registered generating companies and licensees on its website. The SLDC shall file consolidated information about the generating station and licensees connected to the intra-State transmission network and distribution network and being monitored / serviced by it, to the Commission every year by end of April every year.

h) The SLDC shall dispose all applications for registration within 30 days. In case of delay in processing or refusal, SLDC shall intimate the applicant with the valid reasons regarding the same, within 5 working days of completion of above time limit.

Note: All generating companies and licensees shall be required to register at SLDC. These shall be generating plants, captive generating plants, licensees directly connected to State grid, stand alone generating plants who avail the services of SLDC for REC and other intra-State entities

रायपुर, दिनांक 2 जून 2017

क्रमांक 77/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2016.– विद्युत अधिनियम, 2003 (वर्ष 2003 का क्र. 36) की धारा 61, 86 एवं 181 एवं इस हेतु प्राप्त अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने छ.ग.रा.वि.नि.आ. (राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के छतोपरि (रूफटाफ) पी.व्ही. सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत उपार्जन हेतु दरों का निर्धारण) विनियम 2013 को बनाया था। छ.ग.रा.वि.नि.आ. सौर छतोपरि विनियम, 2013 अथवा मूल विनियम, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा छतोपरि पी.व्ही. सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत उपार्जन हेतु दशायें एवं शर्तो के निर्धारण हेतु बनाया गया था।

इसलिए आयोग मूल विनियम के अनुसरण में मूल विनियम में संशोधन हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है;

1. **लघु शीर्षक एवं प्रारंभ**

1.1 इन विनियमों को छ.ग.रा.वि.नि.आ. (राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के छतोपरि (रूफटाफ) पी.व्ही. सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत उपार्जन हेतु दरों का निर्धारण) (प्रथम संशोधन) विनियम 2016 कहे जावेंगे।

1.2 ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2. मूल विनियमों की विनियम 2.1 के उप विनियम (झ) का नये उप विनियम से प्रतिस्थापन :

मूल विनियमों के विनियम 2.1 के उप विनियम (झ) को निम्नलिखित उप विनियम से प्रतिस्थापित किया जावे :– अर्थात

(झ) छतोपरि (रूफटाफ) पी.व्ही. एवं भूधृत सौर ऊर्जा परियोजना अथवा परियोजना का तात्पर्य ऐसे छतोपरि (रूफटाफ) पी.व्ही. एवं भूधृत सौर ऊर्जा संयंत्र से है जिसकी क्षमता 10 कि.वा. या इससे अधिक 1 मेगावाट तक हो जिसमे यथास्थिति अन्तर्संयोजन बिन्दु तक निकासी प्रणाली सम्मिलित है।

3. मूल विनियमों के विनियम 2.1 के उप विनियम (ट) का नये उप विनियम से प्रतिस्थापन :

मूल विनियमों के विनियम 2.1 के उप विनियम (ट) को निम्नलिखित उप विनियम से प्रतिस्थापित किया जावे:– अर्थात्

(ट) सौर मीटर या एस. एम. से अभिप्रेत है, कोई मीटर या जिसे छतोपरि (रूफटाफ) पी.व्ही. और अन्य भूधृत सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत के लेखांकन हेतु उपयोग किया जाता है।

4. मूल विनियमों के विनियम 4 के उप विनियम 1 (ग) (i) का नये उप विनियम से प्रतिस्थापन :

मूल विनियमों के विनियम 4 के उप विनियम 1 (ग) (i) को निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित किया जावेः– अर्थात्

(ग) दृढ़ संयोजकता

i अन्य तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति के अध्यधीन केवल ऐसी छतोपरि (रूफटाप) पी.व्ही. व अन्य भूधृत पी.व्ही. सौर विद्युत परियोजनाएं जो 33 के.व्ही. से नीचे के वोल्टेज स्तर की वितरण प्रणाली से संयोजित है, इन विनियमों के अधीन ऐसी परियोजनाओं के लिए मूल दर निर्धारण करने हेतु पात्र होंगी। वोल्टेज के संदर्भ में राज्य ग्रिड से अंतर्वेशन/आहरण हेतु विहित मात्रा निम्नानुसार हैः–

एस.पी.व्ही क्षमता	प्रकार	निकासी स्तर
10 के.व्ही.– 100 के.व्ही.	छतोपरि भूधृत	न्यूनतम 415 वोल्ट, 3 फेज, 50 हर्ट्स
101 के.व्ही. – 1000 के.व्ही.		न्यूनतम 11 के.व्ही., 3 फेज, 50 हर्ट्स

परंतु यदि एस.पी.व्ही. परियोजना का प्रतिष्ठापित क्षमता अनुज्ञप्तिधारी से मांग प्रभार से अधिक है, उस स्थिति में डेव्हलपर द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता के अनुसार मूलभूत संरचना के विस्तार/विकास लागत को वहन किया जायेगा, जिससे कि अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत को रिक्त करने हेतु सुविधा मिले।

5. मूल विनियमों के विनियम 4 (1) (ड.) का प्रतिस्थापन

मूल विनियमों के विनियम 4 (1) (ड.) को निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित किया जावेः– अर्थात्

(ड.) संचार प्रणाली की आवश्यकता

(i) संचार प्रणाली ग्रिड इंटरएक्टिव होना चाहिए और उसे इस योग्य होना चाहिए कि वह रियल टाईम (तत्क्षण) डाटा लॉगिंग, ईवेन्ट लॉगिंग, अधीक्षण नियंत्रण, संचालन मोड और सेट पवाईंट संपादन का समर्थन कर सकें। जिन मानदंडो का मापन किया जाना है, और उन्हें लगातार प्रदर्शित करना है उनमें सौर प्रणाली तापमान, एम्बियंट तापमान अविकिरण/आइसोलेशन, डी.सी. करंट और वोल्टेज, ग्रिड मे एसी अंतःक्षेपण (प्रतिष्ठापन के समय एकबारगी मापन), इन्वर्टर की दक्षता, सौर प्रणाली दक्षता, परिपक्व प्रथाओं पर आधारित पी. व्ही. सौर प्रणाली के प्रदायकर्ता द्वारा आवश्यक समझे गए कोई अन्य मानदंड सम्मिलित है। डाटा लॉगर प्रणाली को विभिन्न पर्यावरणीय और ग्रिड मानदंडों के सौर प्रणाली द्वारा उत्पादित विद्युत पर प्रभाव के अध्ययन हेतु इन मानदंडो को अभिलिखित करना चाहिए और बार चार्टो, कर्वों, तालिकाओं के माध्यम से विभिन्न विश्लेषण उपलब्ध करना आवश्यक होगा, जिन्हें रेखांकनों (ड्राईंग्स) के अनुमोदन के दौरान ही अंतिम रूप देना होगा।

(ii) संचार अंतर्फलक, इन्वर्टर का अविभाज्य भाग होगा और स्थानीय कम्प्यूटर एवं वेब के माध्यम से या तो मानक मोडेम या जीएसम/वाई–फाई मोडेम का उपयोग करते हुए रिमोट से संयोजित करने योग्य होगा।

No. 77/CSERC/2016.- In exercise of powers vested under section 61, 86 read with Section 181 of the Electricity Act 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (the Commission) made Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Determination of tariff for procurement of power from Rooftop PV Solar Power Projects by distribution licensees of State) Regulations, 2013 (CSERC Solar Rooftop Regulations 2013 or the Principal Regulations) for specifying the terms and conditions of tariff for procurement of power from rooftop PV solar power projects by distribution licensees of the State.

Therefore, in pursuance of the Principal Regulations, the Commission hereby makes the following regulations to amend the Principal Regulations.

1. Short title and commencement

1.1 These Regulations may be called the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Determination of tariff for procurement of power from Rooftop PV Solar Power Projects by distribution licensees of State) (First Amendment) Regulations, 2016.

1.2 These Regulations shall come into force from date of publications in the CG Rajpatra.

2. Substitution of new sub regulation for sub regulation j) of regulation 2.1

For sub regulation j) of regulation 2.1 of the principal Regulations, the following sub regulation shall be substituted, namely:-

j) 'Rooftop PV & ground mounted Solar Power Project' or 'Project' means a Rooftop PV and other ground mounted solar power generating station, with a capacity equal to or more than 10 kW and upto 1MW, including the evacuation system up to interconnection point, as the case may be;

3. Substitution of new sub regulation for sub regulation l) of regulation 2.1

For sub regulation l) of regulation 2.1 of the principal Regulations, the following sub regulation shall be substituted, namely:-

l) **'Solar Meter** or **SM'** means a meter for used for accounting of electricity generated by the Rooftop PV and other ground mounted Solar Power Generating Plant;

4. Substitution of Regulation 4(1)(C) (i)

For sub regulation i) of regulation 4(1)(C) of the principal Regulations, the following sub regulation shall be substituted, namely:-

(C) **Grid Connectivity**

(i) Subject to fulfillment of other technical requirements, Rooftop PV and other grounded PV Solar Power Projects connected to the distribution network at voltage levels 33kV and below shall alone be eligible for generic tariff determined for such projects under these Regulations

SPV Capacity	Type	Evacuation level
10 kW – 100 kW	Roof top/ ground mounted	Min 415V, 3 Phase, 50 Hz
101 kW – 1000 kW		Min 11 KV, 3 Phase, 50 Hz

Provided that if the installed capacity of the SPV project is more than the contracted load with licensee than the developer shall bear the applicable infrastructure augmentation/development charges, if any according to the provisions of prevailing Supply Code to facilitate the concern licensee for power evacuation.

5. **Substitution of Regulation 4(1)(E)**

For regulation 4(1)(E) of the principal Regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

(E) **Communication Requirement**

(i) The communication system must be grid interactive and be able to support real time data logging, Event logging, Supervisory control, Operational modes and Set point editing. The parameters to be measured and displayed continuously include Solar system temperature, Ambient temperature, Solar irradiation/isolation, DC current and Voltages, AC injection into the grid (one time measurement at the time of installation), efficiency of the inverter, Solar system efficiency, Display of I-V curve of the solar system, any other parameter considered necessary by supplier of the solar PV system based on prudent practice. Data logger system must record these parameters for study of effect of various environmental & grid parameters on energy generated by the solar system and various analysis would be required to be provided through bar charts, curves, tables, which shall be finalized during approval of drawings.

(ii) The communication interface shall be an integral part of inverter and shall be suitable to be connected to local computer and also remotely via the web using either a standard modem or a GSM / WiFi modem.

Raipur the 2nd June, 2017

CORRIGENDUM

No. 78/CSERC/2016.-Chhattisgarh State Electricity Regulatory commission has notified Chhattisgarh State Electricity Regulatory commission (Intra-state Availability Based tariff and Deviation Settlement Mechanism) Regulations, 2016 vide notification No. 74/CSERC/2016 dated 7th November, 2016 published in the Gazette of Chhattisgarh, Extraordinary, Part-III, Section-4, S. No. 407 dated 07th November, 2016.

In the above notified regulations, following corrigendum is made;

1. In clause 6.1(iv) & (v), the phrase "applicable rate" shall be substituted by the phrase "applicable rate (sum of Fixed Charges and Energy Charges, if any)".

2. In clause 6.1 (v), the phrase "wind and solar plants" shall be substituted by the phrase "RE plants".

3. In clause 6.4, the phrase "in clause c) below" shall be substituted by the phrase "in clause (d) of Schedule A.

4. In clause 8.1 insert following after the word state grid "or as applicable as per the terms and condition of prevailing power purchase agreements".

5. In clause 8.4, "Clause 9.1" and "Clause 9.2" shall be substituted by "Clause 8.2" and "Clause 8.3" respectively.

6. In clause 8.11, the phrase "SLDC in website" shall be substituted by the phrase "SLDC/CSPDCL in website within a week of its occurrence by the concerned licensee".

7. In clause 11.8(d), the word "Buyers" shall be substituted by the words "Buyers/Sellers".

8. In Schedule A, the para "(e)" shall be read as "(c)".

आयोग के आदेशानुसार,

(पी.एन.सिंह)
सचिव.

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) जिला–धमतरी

धमतरी, दिनांक 7 मार्च 2017

क्रमांक 288/भू–अभि./हल्का पुनर्गठन/2017.– छत्तीसगढ़ भू –राजस्व संहिता 1959 की धारा 104(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं डॉ. सी. आर. प्रसन्ना कलेक्टर जिला धमतरी एतद् द्वारा शासन से जिले में पटवारियों के नवीन स्वीकृत पद संख्या के आधार पर तहसील धमतरी के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूँ:–

सूची

अ. क्र.	तहसील का नाम	रा.नि.मं. का नाम	प.ह.न. एवं मुख्यालय का नाम	पटवारी हल्के में सम्मिलित ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	धमतरी	भोथली	1 मड़ईभाठा	मड़ईभाठा	मड़ईभाठा	
2		–"–		मोखा		
3		–"–		अमलीडीह	अमलीडीह	
4		–"–	2 कुर्रा	कुर्रा	कुर्रा	
5		–"–		भोथीपार		
6		–"–		बागतराई	बागतराई	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	धमतरी	भोथली	3 दरगहन	दरगहन	दरगहन	
8		–"–		रीवागहन	रीवागहन	
9		–"–	4 गुजरा	गुजरा	गुजरा	
10		–"–		डोमा	डोमा	
11		–"–	5 बिरेतरा	बिरेतरा	बिरेतरा	
12		–"–		जुनवानी	जुनवानी	
13		–"–		खम्हरिया		
14		–"–	6 डाही	डाही	डाही	
15		–"–		अंगारा		
16		–"–		हंकारा	हंकारा	
17		–"–		कसही		
18		–"–	7 सेमरा	सेमरा	सेमरा	
19		–"–		सेनचुवा	सेनचुवा	
20		–"–	8 पुरी	पुरी	पुरी	
21		–"–		बोड़रा	बोड़रा	
22		–"–		गोपालपुरी		
23		–"–	9 छाती	छाती	छाती	
24		–"–		बिजनापुरी	बिजनापुरी	
25		–"–		सरसोंपुरी		
26		–"–	10 नवागांव	नवागांव (झुरा)	नवागांव (झुरा)	
27		–"–		देवरी	देवरी	
28		–"–		बोदाछापर		
29		–"–	11.सिवनीखुर्द	सिवनीखुर्द	सिवनीखुर्द	
30		–"–		बारना	बारना	
31		–"–	12 दोनर	दोनर	दोनर	
32		–"–		सेमरा	सेमरा	
33		–"–	13 झिरिया	झिरिया	झिरिया	
34		–"–		उड़ेना	उड़ेना	
35		–"–	14 ढिमरटिकुर	ढिमरटिकुर	ढिमरटिकुर	
36		–"–		देवपुर	देवपुर	
37		–"–	15 कण्डेल	कण्डेल	कण्डेल	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38	धमतरी	भोथली		गागरा	गागरा	
39		—"—	16 भोथली	भोथली	भोथली	
40		—"—		पीपरछेड़ी	पीपरछेड़ी	
41		—"—	17 बलियारा	बलियारा	बलियारा	
42		—"—		डोड़की	डोड़की	
43		—"—	18 सांकरा	सांकरा	सांकरा	
44		—"—		बोड़रा	बोड़रा	
45		—"—	19 लिमतरा	लिमतरा	लिमतरा	
46		—"—		धौराभाठा	धौराभाठा	
47		—"—		रावनगुड़ा		
48		—"—	20 कुरमातराई	कुरमातराई	कुरमातराई	
49		—"—		पीपरछेड़ी	पीपरछेड़ी	
50		—"—	21 संबलपुर	संबलपुर	संबलपुर	
51		—"—		परेवाडीह	परेवाडीह	
52		—"—	22 शंकरदाह	शंकरदाह	शंकरदाह	
53		धमतरी 1		हरफतराई		
54		भोथली		सेहराडबरी	सेहराडबरी	
55		—"—	23 अर्जुनी	अर्जुनी	अर्जुनी	
56		—"—		खपरी	खपरी	
57		—"—	24 देमार	देमार	देमार	
58		—"—		तेलीनसत्ती	तेलीनसत्ती	
59		—"—		उसलापुर		
60		—"—	25 रांवा	रांवा	रांवा	
61		—"—		तरसीवा	तरसीवा	
62		—"—	26 आमदी	आमदी	आमदी (नगर पंचायत)	
63		—"—	27 पोटियाडीह	पोटियाडीह	पोटियाडीह	
64		—"—		भानपुरी	भानपुरी	
65		—"—	28 खरतुली	खरतुली	खरतुली	
66		—"—		परसतराई	परसतराई	
67		—"—	29 लोहरसी	लोहरसी	लोहरसी	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
68	धमतरी	भोथली		मुजगहन	मुजगहन	
69		बठेना	30 रत्नाबांधा	रत्नाबांधा	रत्नाबांधा	
70		–"–	31 हटकेशर	हटकेशर	धमतरी न.पा.नि	
71		–"–	32 बठेना	बठेना	धमतरी न.पा.नि	
72		धमतरी 2	33 धमतरी	धमतरी	धमतरी न.पा.नि	
73		–"–	34 सोरिदभाट	सोरिदभाट	धमतरी न.पा.नि	
74		–"–	35 गोकुलपुर	गोकुलपुर	धमतरी न.पा.नि	
75		धमतरी 1	36 कोलियारी	कोलियारी	कोलियारी	
76		–"–		करेठा		
77		–"–		अमेठी	अमेठी	
78		–"–		कानीडबरी		
79		–"–	37 परसुली	परसुली	परसुली	
80				कलारतराई	कलारतराई	
81		–"–		बंजारी		
82	धमतरी	धमतरी 1	38 खरेंगा	खरेंगा	खरेंगा	
83		–"–		दर्री	दर्री	
84		–"–	39 सारंगपुरी	सारंगपुरी	सारंगपुरी	
85		–"–		नवांगाव	नवांगाव	
86		–"–	40 लीलर	लीलर	लीलर	
87		–"–		बागोडार		
88		–"–		भंवरमरा	भंवरमरा	
89		–"–		भरारी		
90		–"–	41 जंवरगांव	जंवरगांव	जंवरगांव	
91		–"–		अरौद	अरौद	
92		–"–	42 भोयना	भोयना	भोयना	
93		–"–		मथुराडीह	मथुराडीह	
94		–"–		तेन्दुकोना		
95		–"–	43 अछोटा	अछोटा	अछोटा	
96		–"–		मुडपार	मुडपार	
97		–"–		शकरवारा		
98		–"–	44 गंगरेल	गंगरेल	गंगरेल	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
99	धमतरी	धमतरी 1		मरादेव		
100		–"–		बरारी	बरारी	
101		–"–		कोटाभर्री		
102		–"–	45 रूद्री	रूद्री	रूद्री	
103		–"–		बेन्द्रानवांगांव	बेन्द्रानवांगांव	
104		–"–		नवांगांव खुर्द		
105		–"–	46 भटगांव	भटगांव	भटगांव	
106		–"–		श्यामतराई	श्यामतराई	
107		–"–	47 बोरिदखुर्द	बोरिदखुर्द	बोरिदखुर्द	
108		–"–		कसावाही	कसावाही	
109		–"–		मड़वापथरा		
110		–"–	48 सोरम	सोरम	सोरम	
111		–"–		बेलतरा		
112		–"–		तुमराबहार	तुमराबहार	
113		–"–		खिरगीटोला		
114		–"–		तुमाबुजुर्ग		
115				डांगीमांचा		
116		–"–		बिश्रामपुर		
117		–"–	49 चिखली	चिखली	चिखली	
118		–"–		माटेगहन		
119		–"–		तिर्रा	तिर्रा	
120		–"–		कोलियारी		
121		–"–	50अकलाडोंगरी	अकलाडोंगरी	अकलाडोंगरी	
122		–"–		कोहका		
123		–"–		कोडेगांव रैं.	कोडेगांव रैं.	
124		–"–		कोडेगांव मा.		
125		–"–		कोदागहन		
126		–"–		मांलगाव		
127		–"–		सटियारा		
128		–"–		ओडेकोन्हा		
129		–"–	51 मोगरागहन	मोंगरागहन	मोंगरागहन	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
130	धमतरी	धमतरी 1		भिडावर		
131		–"–		कोडेगांव बी	कोडेगांव बी	
132		–"–		बारगरी		
133		–"–		सिंघोला		
134		–"–		कोसमी		
135		–"–		पंडरीपानी ज.पा.		
136		–"–		पंडरीपानी मं.		
137		–"–	52 अरौद डू	अरौद डू	अरौद डू.	
138		–"–		किशनपुरी		
139		–"–		पटैलगुड़ा		
140		–"–		पटौद		
141		–"–		बरबांधा		
142		–"–		सिलतरा		
143		–"–		हरफर		
144		–"–	52 अरौद डू	उरपोटी	अरौद डू.	
145		–"–		कान्द्री		
146		–"–		मोगरी		
147		–"–		कलारबाहरा		
148		–"–		पहरियाकोना		

धमतरी, दिनांक 7 मार्च 2017

क्रमांक 288/भू–अभि./हल्का पुनर्गठन/2017.–छत्तीसगढ़ भू –राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं डॉ. सी. आर. प्रसन्ना कलेक्टर जिला धमतरी एतद् द्वारा शासन से जिले में पटवारियों के नवीन स्वीकृत पद संख्या के आधार पर तहसील कुरूद के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूँ:–

अ. क्र.	तहसील का नाम	रा.नि.मं. का नाम	प.ह.न. एवं मुख्यालय का नाम	पटवारी हल्के में सम्मिलित ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कुरूद	कुरूद	1, कचना	कचना	कचना	
2	—"—	—"—		नवागांव	नवागांव	
3	—"—	—"—		कानामुका		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	कुरूद	कुरूद	2, मड़ेली	मड़ेली	मड़ेली	
5	—"—	—"—		सरबदा	सरबदा	
6	—"—	—"—	3, सिलीडीह	सिलीडीह	सिलीडीह	
7	—"—	—"—		सिलतरा		
8	—"—	—"—		जरवायडीह	जरवायडीह	
9	—"—	—"—		खपरी		
10	—"—	—"—	4, भैसबोड़	भैसबोड़	भैसबोड़	
11	—"—	—"—		कुम्हारी	कुम्हारी	
12	—"—	—"—		पुरैना		
13	—"—	—"—	5, जोरातराई	जोरातराई	जोरातराई	
14	—"—	—"—		भेण्डसर	भेण्डसर	
15	—"—	—"—	6, सेमरा	सेमरा	सेमरा	
16	—"—	—"—		सिर्वे	सिवे	
17	—"—	—"—		सिंगदेही		
18	—"—	—"—	7, सुपेला	सुपेला	सुपेला	
19	—"—	—"—		सिलघट	सिलघट	
20	—"—	—"—	8, पचपेड़ी	पचपेड़ी	पचपेड़ी	
21	—"—	—"—		गाड़ाडीह	गाड़ाडीह	
22	—"—	—"—		भेलवाकुदा		
23	—"—	—"—	9, रामपुर	रामपुर	रामपुर	
24	—"—	—"—		तर्रागोंदी	तर्रागोंदी	
25	—"—	—"—		टिपानी		
26	—"—	—"—	10, हंचलपुर	हंचलपुर	हंचलपुर	
27	—"—	—"—		बोरझरा	बोरझरा	
28	—"—	—"—	11, सिलौटी	सिलौटी	सिलौटी	
29	—"—	—"—		जुगदेही	जुगदेही	
30	—"—	—"—		सौराबांधा		
31	—"—	—"—	12, सेमरा(सि)	सेमरा	सेमरा (सि)	
32	—"—	—"—		खपरी		
33	—"—	—"—		जोरातराई	जोरातराई	
34	—"—	—"—	13, कोर्रा	कोर्रा	कोर्रा	
35	—"—	—"—		ईरा	ईरा	
36	—"—	—"—	14, भेण्डरा	भेण्डरा	भेण्डरा	
37	—"—	—"—		चरोटा	चरोटा	
38	—"—	—"—		लोहारपथरा		
39	—"—	—"—	15, कोसमर्रा	कोसमर्रा	कोसमर्रा	
40	—"—	—"—		गातापार	गातापार	
41	—"—	—"—	16, भठेली	भठेली	भखारा (नगर पंचायत)	
42	—"—	—"—	17, भखारा	भखारा	भखारा (नगर पंचायत)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
43	कुरूद	कुरूद	18, कोलियारी	कोलियारी	कोलियारी	
44	—"—	—"—		कुर्रा	कुर्रा	
45	—"—	—"—		खपरी		
46	—"—	—"—	19, देवरी	देवरी	देवरी	
47	—"—	—"—		दर्री		
48	—"—	—"—		सिहाद	सिहाद	
49	—"—	—"—	20, बगदेही	बगदेही	बगदेही	
50	—"—	—"—		भेण्डरवानी	भेण्डरवानी	
51	—"—	—"—		चिरपोटी		
52	—"—	—"—	21, भुसरेंगा	भुसरेंगा	भुसरेंगा	
53	—"—	—"—		चोरभट्ठी	चोरभट्ठी	
54	—"—	—"—	22, बगौद	बगौद	बगौद	
55	—"—	—"—		राखी	राखी	
56	—"—	—"—	23, थूहा	थूहा	थूहा	
57	—"—	—"—		बंजारी	बंजारी	
58	—"—	—"—		बंगोली		
59	—"—	—"—	24, भाठागांव	भाठागांव	भाठागांव	
60	—"—	—"—		मरौद	मरौद	
61	—"—	—"—	25, चरमुड़िया	चरमुड़िया	चरमुड़िया	
62	—"—	—"—		भोथली	भोथली	
63	—"—	—"—	26, गोबरा	गोबरा	गोबरा	
64	—"—	—"—		भालूकोना		
65	—"—	—"—		परसवानी	परसवानी	
66	—"—	—"—		मेडरका		
67	—"—	—"—	27, सिवनीकला	सिवनीकला	सिवनीकला	
68	—"—	—"—		बकली	बकली	
69	—"—	—"—		रावनगुड़ा		
70	—"—	—"—	28, चिंवरी	चिंवरी	चिंवरी	
71	—"—	—"—		संकरी	संकरी	
72	—"—	—"—	29, सिर्री	सिर्री	सिर्री	
73	—"—	—"—		गातापार	गातापार	
74	—"—	—"—		आलेखुटा		
75	—"—	—"—	30, अटंग	अटंग	अटंग	
76	—"—	—"—		अछोटी	अछोटी	
77	—"—	—"—	31, कोड़ेबोड़	कोड़ेबोड़	कोड़ेबोड़	
78	—"—	—"—		सोनपुर		
79	—"—	—"—		नवागांव	नवागांव	
80	—"—	—"—	32, अंवरी	अंवरी	अंवरी	
81	—"—	—"—		मुल्ले	मुल्ले	
82	—"—	—"—		कल्ले		
83	—"—	—"—	33, जीजामगांव	जीजामगांव	जीजामगांव	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
84	कुरूद	कुरूद		बिरेझर	बिरेझर	
85	—"—	—"—	34, मुरा	मुरा	मुरा	
86	—"—	—"—		गदहीडीह	गदहीडीह	
87	—"—	—"—	35, कोड़ापार	कोड़ापार	कोड़ापार	
88	—"—	—"—		खुरसेंगा	खुरसेंगा	
89	—"—	—"—		भरदा		
90	—"—	—"—	36, दरबा	दरबा	दरबा	
91	—"—	—"—		चटौद	चटौद	
92	—"—	—"—	37, कोटगांव	कोटगांव	कोटगांव	
93	—"—	—"—		ढेठा		
94	—"—	—"—		कुल्हाड़ी	कुल्हाड़ी	
95	—"—	—"—		फुसेरा		
96	—"—	—"—	38, करगा	करगा	करगा	
97	—"—	—"—		हथबंद	हथबंद	
98	—"—	—"—	39, दर्रा	दर्रा	दर्रा	
99	—"—	—"—		खर्रा	खर्रा	
100	—"—	—"—	40, कठौली	कठौली	कठौली	
101	—"—	—"—		धुमा	धुमा	
102	—"—	—"—		परसट्ठी		
103	—"—	—"—	41, मौरीकला	मौरीकला	मौरीकला	
104	—"—	—"—		गोजी	गोजी	
105	—"—	—"—	42, नारी	नारी	नारी	
106	—"—	—"—		चारभाठा	चारभाठा	
107	—"—	—"—	43, गुदगुदा	गुदगुदा	गुदगुदा	
108	—"—	—"—		सिरसिदा	सिरसिदा	
109	—"—	—"—	44, भैसमुण्डी	भैसमुण्डी	भैसमुण्डी	
110	—"—	—"—		कोकड़ी	कोकड़ी	
111	—"—	—"—	45, दहदहा	दहदहा	दहदहा	
112	—"—	—"—		मौरीखुर्द		
113	—"—	—"—		कुहकुहा	कुहकुहा	
114	—"—	—"—		भरदा		
115	—"—	—"—	46, परखंदा	परखंदा	परखंदा	
116	—"—	—"—		गाड़ाडीह	गाड़ाडीह	
117	—"—	—"—	47, उमरदा	उमरदा	उमरदा	
118	—"—	—"—		नवागांव	नवागांव	
119	—"—	—"—	48, कुरूद	कुरूद	कुरूद (नगर पंचायत)	
120	—"—	—"—	49, डांडेसरा	डांडेसरा	डांडेसरा	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
121	कुरूद	कुरूद		कन्हारपुरी	कन्हारपुरी	
122	—"—	—"—		भालूझूलन		
123	—"—	—"—	50, चर्रा	चर्रा	चर्रा	
124	—"—	—"—	51, कोकड़ी	कोकड़ी	कोकड़ी	
125	—"—	—"—		खैरा		
126	—"—	—"—		मोंगरा	मोंगरा	
127	—"—	—"—	52, कातलबोड़	कातलबोड़	कातलबोड़	
128	—"—	—"—		बानगर	बानगर	
129	—"—	—"—	53, मंदरौद	मंदरौद	मंदरौद	
130	—"—	—"—		कमरौद	कमरौद	
131	—"—	—"—		परसवानी		
132	—"—	—"—	54, सिंधौरीकला	सिंधौरीकला	सिंधौरीकला	
133	—"—	—"—		सिंधौरीखुर्द	सिंधौरीखुर्द	
134	—"—	—"—	55, जोरातराई	जोरातराई	जोरातराई	
135	—"—	—"—		सेलदीप	सेलदीप	

धमतरी, दिनांक 7 मार्च 2017

क्रमांक 288/भू–अभि./हल्का पुनर्गठन/2017.– छत्तीसगढ़ भू –राजस्व संहिता 1959 की धारा 104(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं डॉ. सी. आर. प्रसन्ना कलेक्टर जिला धमतरी एतद् द्वारा शासन से जिले में पटवारियों के नवीन स्वीकृत पद संख्या के आधार पर तहसील मगरलोड के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूँ:–

अ.क्र.	तहसील का नाम	रा.नि.मं. का नाम	प.ह.न. एवं मुख्यालय का नाम	पटवारी हल्के में सम्मिलित ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मगरलोड	मगरलोड	1, बुड़ेनी	बुड़ेनी	बुड़ेनी	
2	—"—	—"—		नवागांव	नवागांव	
3	—"—	—"—	2, चंदना	चंदना	चंदना	
4	—"—	—"—		चन्द्रसुर	चन्द्रसुर	
5	—"—	—"—	3, भेण्डरी	भेण्डरी	भेण्डरी	
6	—"—	—"—		परेवाडीह	परेवाडीह	
7	—"—	—"—		दमकाडीह		
8	—"—	—"—	4, हसदा	हसदा	हसदा	
9	—"—	—"—		मोहरेंगा	मोहरेंगा	
10	—"—	—"—	5, करेलीबड़ी	करेलीबड़ी	करेलीबड़ी	
11	—"—	—"—		खट्टी		
12	—"—	—"—		परसठ्ठी	परसठ्ठी	
13	—"—	—"—		नहरडीह		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	मगरलोड	मगरलोड	6, कुण्डेल	कुण्डेल	कुण्डेल	
15	—"—	—"—		धौराभाठा	धौराभाठा	
16	—"—	—"—		भोथा (धौ.)		
17	—"—	—"—	7, रांकाडीह	रांकाडीह	रांकाडीह	
18	—"—	—"—		मोतिमपुर	मोतिमपुर	
19	—"—	—"—	8, भोथीडीह	भोथीडीह	भोथीडीह	
20	—"—	—"—		बोड़रा	बोड़रा	
21	—"—	—"—	9, खिसोरा	खिसोरा	खिसोरा	
22	—"—	—"—		नवागांव(खि.)	नवागांव (खि.)	
23	—"—	—"—	10, डुमरपाली	डुमरपाली	डुमरपाली	
24	—"—	—"—		नारधा		
25	—"—	—"—		धौराभाठा	धौराभाठा	
26	—"—	—"—	11, गाड़ाडीह	गाड़ाडीह	गाड़ाडीह	
27	—"—	—"—		कपालफोड़ी	कपालफोड़ी	
28	—"—	—"—	12, शुक्लाभाठा	शुक्लाभाठा	शुक्लाभाठा	
29	—"—	—"—		आमाचानी		
30	—"—	—"—		दुधवारा	दुधवारा	
31	—"—	—"—	13, परसाबुड़ा	परसाबुड़ा	परसाबुड़ा	
32	—"—	—"—		कुल्हाडीकोट		
33	—"—	—"—		राजाडेरा		
34	—"—	—"—		रेगाडीह		
35	—"—	—"—		अमलीडीह	अमलीडीह	
36	—"—	—"—		हतबंद		
37	—"—	—"—		जलकुंभी		
38	—"—	—"—	14, पठार	पठार	पठार	
39	—"—	—"—		बेन्द्राचुवा		
40	—"—	—"—		मुलगांव		
41	—"—	—"—		पिपरौद		
42	—"—	—"—		सोनारिनदैहान		
43	—"—	—"—		मडेली	मडेली	
44	—"—	—"—		बुढ़ाराव		
45	—"—	—"—		बकोरी		
46	—"—	—"—	15, बेलरदोना	बेलरदोना	बेलरदोना	
47	—"—	—"—		कोरगांव	कोरगांव	
48	—"—	—"—		चारभाठा		
49	—"—	—"—		तेंदूभाठा		
50	—"—	—"—	16, मगरलोड़	मगरलोड़	मगरलोड़ (न.पं.)	
51	—"—	—"—		भैसमुंडी		
52	—"—	—"—	17, बेलोरा	बेलोरा	बेलोरा	
53	—"—	—"—		सोनपैरी	सोनपैरी	
54	—"—	—"—		बनियातोरा		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
55	मगरलोड	मगरलोड	18, मोंहदी	मोंहदी	मोंहदी	
56	—"—	—"—		जामली		
57	—"—	—"—		छिपली	छिपली	
58	—"—	—"—		लुगें		
59	—"—	—"—	19, परसवानी	परसवानी	परसवानी	
60	—"—	—"—		भरदा	भरदा	
61	—"—	—"—	20, कमरौद	कमरौद	कमरौद	
62	—"—	—"—		चारभाठा		
63	—"—	—"—		सांकरा	सांकरा	
64	—"—	—"—	21, अरौद	अरौद	अरौद	
65	—"—	—"—		खैरझिटी	खैरझिटी	
66	—"—	—"—	22, बेलौदी	बेलौदी	बेलौदी	
67	—"—	—"—		हरदी	हरदी	
68	—"—	—"—	23, गिरौद	गिरौद	गिरौद	
69	—"—	—"—		सौंगा	सौंगा	
70	—"—	—"—	24, मेघा	मेघा	मेघा	
71	—"—	—"—		करेलीछोटी	करेलीछोटी	
72	—"—	—"—	25, राजपुर	राजपुर	राजपुर	
73	—"—	—"—		डाभा	डाभा	
74	—"—	—"—	26, सोनेवारा	सोनेवारा	सोनेवारा	
75	—"—	—"—		सरगी	सरगी	
76	—"—	—"—		केवराडीह		
77	—"—	—"—	27, भोथा	भोथा(लडेर)	भोथा(लडेर)	
78	—"—	—"—		लौड़ेर		
79	—"—	—"—		पाहंदा	पाहंदा	
80	—"—	—"—	28, बोरसी	बोरसी	बोरसी	
81	—"—	—"—		झाझरकेरा	झाझरकेरा	
82	—"—	—"—		देवगांव		
83	—"—	—"—		धनबुड़ा		
84	—"—	—"—		भालूचुवा		
85	—"—	—"—	29, बिरझुली	बिरझुली	बिरझुली	
86	—"—	—"—		पेण्ड्रा		
87	—"—	—"—		कुसुमखुंटा		
88	—"—	—"—		आलेखुंटा		
89	—"—	—"—		गोबरापठार		
90	—"—	—"—		बोदलबाहरा		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
91	मगरलोड	मगरलोड		मुड़केरा	मुड़केरा	
92	—"—	—"—		अंजोरा		
93	—"—	—"—		कमईपुर		
94	—"—	—"—		राउतमुड़ा		
95	—"—	—"—	30, सोनझरी	सोनझरी	सोनझरी	
96	—"—	—"—		धनोरा		
97	—"—	—"—		मुरूमडीह		
98	—"—	—"—		केकराखोली	केकराखोली	
99	—"—	—"—		पालवाडी		
100	—"—	—"—	31, सिंगपुर	सिंगपुर	सिंगपुर	
101	—"—	—"—		भण्डारवाड़ी	भण्डारवाड़ी	
102	—"—	—"—		सिरकटटा		
103	—"—	—"—		बासीखाई		
104	—"—	—"—		घोटियादादर		
105	—"—	—"—		कासरवाही		
106	—"—	—"—	32, मोहेरा	मोहेरा	मोहेरा	
107	—"—	—"—		निरई		
108	—"—	—"—		खड़मा मा	खड़मा मा	
109	—"—	—"—		खड़मा रै.		
110	—"—	—"—		मडवापथरा		
111	—"—	—"—		गिरोलाडीह		
112	—"—	—"—		सरईरूख		
113	—"—	—"—	33, मारागांव	मारागांव	मारागांव	
114	—"—	—"—		बोईरगांव	बोईरगांव	
115	—"—	—"—		भोभलाबाहरा		
116	—"—	—"—		सरईभदर		

धमतरी, दिनांक 7 मार्च 2017

क्रमांक 288/भू–अभि./हल्का पुनर्गठन/2017.–छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुवे मैं सी. आर. प्रसन्ना, कलेक्टर, जिला धमतरी, एतद् द्वारा शासन से जिले में पटवारियों के नवीन स्वीकृत पद संख्या के आधार पर तहसील नगरी के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूँ :–

अ.क्रं.	तहसील का नाम	रा.नि.मं. का नाम	प.ह.नं. एवं मुख्यालय का नाम	पटवारी हल्के में सम्मिलित ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरी	सिहावा	1, सलोनी	सलोनी	सलोनी	
2.	–"–	–"–		दरगहन	दरगहन	
3	–"–	–"–	2, छुही	छुही	छुही	
4	–"–	–"–		साल्हेभाट		
5	–"–	–"–		बनबगौद	बनबगौद	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	नगरी	सिहावा		लट्टीडेरा		
7	—"—	—"—		सिरौदकला		
8	—"—	—"—	3, कुकरेल	कुकरेल	कुकरेल	
9	—"—	—"—		सिंघोलापारा		
10	—"—	—"—		कांटाकुरीडीह	कांटाकुरीडीह	
11	—"—	—"—		सिरौदखुर्द		
12	—"—	—"—		जरहाखार		
13	—"—	—"—	4, माकरदोना	माकरदोना	माकरदोना	
14	—"—	—"—		सियादेही	सियादेही	
15	—"—	—"—		मोहलई		
16	—"—	—"—		पथरीडीह		
17	—"—	—"—		लसुनवाही		
18	—"—	—"—	5, कुम्हड़ा	कुम्हड़ा	कुम्हड़ा	
19	—"—	—"—		मारदापोटी		
20	—"—	—"—		बनरौद		
21	—"—	—"—		भोथापारा	भोथापारा	
22	—"—	—"—		अमलीपारा		
23	—"—	—"—		गेदरापारा		
24	—"—	—"—		मांडमसिल्ली		
25	—"—	—"—	6,बाजारकुरीडीह	बाजारकुरीडीह	बाजारकुरीडीह	
26	—"—	—"—		बरबांधा		
27	—"—	—"—		पीपरछेड़ी		
28	—"—	—"—		झुरातराई	झुरातराई	
29	—"—	—"—		कोटरवाही		
30	—"—	—"—		छलकनी		
31	—"—	—"—		पारधी		
32	—"—	—"—		मगौद		
33	—"—	—"—	7, केरेगांव	केरेगांव	केरेगांव	
34	—"—	—"—		चंदनपुर		
35	—"—	—"—		रायपारा		
36	—"—	—"—		नाथुकोन्हा		
37	—"—	—"—		जामपानी		
38	—"—	—"—		कुरमाझर		
39	—"—	—"—		डोकाल	डोकाल	
40	—"—	—"—		कोर्रा		
41	—"—	—"—		खाड़ादाह		
42	—"—	—"—		बासीखाई		
43	—"—	—"—	8, सियारीनाला	सियारीनाला	सियारीनाला	
44	—"—	—"—		बीजापुर		
45	—"—	—"—		चनागांव	चनागांव	
46	—"—	—"—		छिंदभर्री		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
47	नगरी	सिहावा	9, हितली	बगरूमनाला	बगरूमनाला	
48	—"—	—"—		हितली		
49	—"—	—"—		बरकोन्हा		
50	—"—	—"—		बेन्द्रापानी		
51	—"—	—"—		खैरभर्री	खैरभर्री	
52	—"—	—"—		बेधवापथरा		
53	—"—	—"—	10, करैहा	करैहा	करैहा	
54	—"—	—"—		सारंगपुरी		
55	—"—	—"—		चिवर्री मा.	चिवर्री मा.	
56	—"—	—"—		सांकरा		
57	—"—	—"—		अर्जुनी		
58	—"—	—"—		चिवर्री रै.		
59	—"—	—"—		कुकरीकोन्हा		
60	—"—	—"—	11, आमदी	आमदी	आमदी	
61	—"—	—"—		पलारीखार		
62	—"—	—"—		कुम्हड़ाकोट		
63	—"—	—"—		गोविंदपुर	गोविंदपुर	
64	—"—	—"—		नेगीनाला		
65	—"—	—"—	12, गट्टासिल्ली	गट्टासिल्ली मा.	गट्टासिल्ली	
66	—"—	—"—		सरईटोला मा.	सरईटोला मा.	
67	—"—	—"—		जोराडबरी		
68	—"—	—"—		चटर्रीबाहरा		
69	—"—	—"—		गट्टासिल्ली रै.		
70	—"—	—"—		खरकाभर्री		
71	—"—	—"—	13, गेदरा	गेदरा	गेदरा	
72	—"—	—"—		गोंदलानाला		
73	—"—	—"—		सेलबाहरा		
74	—"—	—"—		कोहिनपारा		
75	—"—	—"—		कौहाबाहरा	कौहाबाहरा	
76	—"—	—"—		पालगांव		
77	—"—	—"—		केरेमुड़ा		
78	—"—	—"—	14, दुगली	दुगली	दुगली	
79	—"—	—"—		कोलियारी	कोलियारी	
80	—"—	—"—	15, जबर्रा	जबर्रा	जबर्रा	
81	—"—	—"—		चारगांव		
82	—"—	—"—		खरका		
83	—"—	—"—		मुनईकेरा	मुनईकेरा	
84	—"—	—"—		देवगांव		
85	—"—	—"—		दिनकरपुर		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
86	नगरी	सिहावा	16, गुहाननाला	गुहाननाला	गुहाननाला	
87	—"—	—"—		सरईटोला रै0		
88	—"—	—"—		बांधा	बांधा	
89	—"—	—"—		मोहमल्ला मा0		
90	—"—	—"—		मोहमल्ला रै0		
91	—"—	—"—	17, परसापानी	परसापानी	परसापानी	
92	—"—	—"—		अछोली		
93	—"—	—"—		कल्लेमेटा	कल्लेमेटा	
94	—"—	—"—		कौहापानी उर्फ गजकन्हार		
95	—"—	—"—	18, राजपुर	राजपुर	राजपुर	
96	—"—	—"—		बटनहर्रा	बटनहर्रा	
97	—"—	—"—		दाबगांव		
98	—"—	—"—	19, घोटगांव	घोटगांव	घोटगांव	
99	—"—	—"—		कुरमिया		
100	—"—	—"—		झुझराकसा	झुझराकसा	
101	—"—	—"—		कोरेमुड़ा		
102	—"—	—"—	20, बांसपानी	बांसपानी	बांसपानी	
103	—"—	—"—		केकराडोंगरी		
104	—"—	—"—		ठेमली		
105	—"—	—"—		मुरूमतरा		
106	—"—	—"—		सोनपुरभर्री		
107	—"—	—"—		कोंगेरा	कोंगेरा	
108	—"—	—"—		जुनवानी		
109	—"—	—"—	21 टांगापानी	टांगापानी	टांगापानी	
110	—"—	—"—		गोरसानाला		
111	—"—	—"—		भड़सिवना	भड़सिवना	
112	—"—	—"—		खड़पथरा		
113	—"—	—"—	22, डोगरडुला	डोंगरडुला	डोंगरडुला	
114	—"—	—"—		बिलभदर	बिलभदर	
115	—"—	—"—		दलदली अ		
116	—"—	—"—		दलदली ब		
117	—"—	—"—	23, नगरी	नगरी	नगरी (न.पं.)	
118	—"—	—"—		चुरियारा		
119	—"—	—"—		तुमबाहरा		
120	—"—	—"—	24, अमाली	अमाली	अमाली	
121	—"—	—"—		संबलपुर		
122	—"—	—"—		छिपली	छिपली	
123	—"—	—"—		मोदे		
124	—"—	—"—	25, गोरेगांव	गोरेगांव	गोरेगांव	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
125	नगरी	सिहावा		सामतरा		
126	—"—	—"—		टेंगना		
127	—"—	—"—		भैसामुड़ा	भैसामुड़ा	
128	—"—	—"—		खुदुरपानी रै0		
129	—"—	—"—		मटियाबाहरा		
130	—"—	—"—	26, फरसिया	फरसिया	फरसिया	
131	—"—	—"—		धौराभाठा		
132	—"—	—"—		निर्रबेड़ा		
133	—"—	—"—		चंदनबाहरा		
134	—"—	—"—		बोड़रा	बोड़रा	
135	—"—	—"—	27, भोथली	भोथली	भोथली	
136	—"—	—"—		घोरागांव		
137	—"—	—"—		हिंछापुर	हिंछापुर	
138	—"—	—"—	28, सांकरा	सांकरा	सांकरा	
139	—"—	—"—		खम्हरिया	खम्हरिया	
140	—"—	—"—	29, उमरगांव	उमरगांव	उमरगांव	
141	—"—	—"—		रानीगांव	रानीगांव	
142	—"—	—"—		अजनी		
143	—"—	—"—	30, सिरसिदा	सिरसिदा	सिरसिदा	
144	—"—	—"—		रावनसिंघी		
145	—"—	—"—		मल्हारी	मल्हारी	
146	—"—	—"—	31, देवपुर	देवपुर	देवपुर	
147	—"—	—"—		बोधसेमरा		
148	—"—	—"—		बिरनपुर		
149	—"—	—"—		छिपलीपारा	छिपलीपारा	
150	—"—	—"—		पंडरीपानी मा0		
151	—"—	—"—	32, हरदीभाठा	हरदीभाठा	हरदीभाठा	
152	—"—	—"—		चमेंदा		
153	—"—	—"—		मुकुन्दपुर	मुकुन्दपुर	
154	—"—	—"—		कर्राघाटी		
155	—"—	—"—	33, सेमरा	सेमरा	सेमरा	
156	—"—	—"—		भेजरीरावन		
157	—"—	—"—		पंडरीपानी रै0		
158	—"—	—"—		पंडरीपानी भाठखार		
159	—"—	—"—		बिरगुड़ी	बिरगुड़ी	
160	—"—	—"—		खुटार		
161	—"—	—"—	34, सिहावा	सिहावा	सिहावा	
162	—"—	—"—		भीतरРास	भीतररास	
163	—"—	—"—	35, गढ़डोंगरी	गढ़डोंगरी मा0	गढ़डोंगरी (मा0)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
164	नगरी	सिहावा		लटियारा	लटियारा	
165	—"—	—"—		साहनीखार		
166	—"—	—"—		चर्रा		
167	—"—	—"—	36, बेलरगांव	बेलरगांव	बेलरगांव	
168	—"—	—"—		डोमपदर		
169	—"—	—"—		बनौरा रै.		
170	—"—	—"—		भूमका रै.		
171	—"—	—"—		हिर्रीडीह	हिर्रीडीह	
172	—"—	—"—		भूमका मा.		
173	—"—	—"—	37, कसपुर	कसपुर	कसपुर	
174	—"—	—"—		नवागांव (कसपुर)	नवागांव (कसपुर)	
175	—"—	—"—	38, भुरसीडोंगरी	भुरसीडोंगरी	भुरसीडोंगरी	
176	—"—	—"—		आमगांव	आमगांव	
177	—"—	—"—	39, घुरावड़	घुरावड़	घुरावड़	
178	—"—	—"—		अमाली		
179	—"—	—"—		जैतपुरी	जैतपुरी	
180	—"—	—"—		कोरमुड़		
181	—"—	—"—	40, बरबांधा	बरबांधा	बरबांधा	
182	—"—	—"—		कट्टीगांव	कट्टीगांव	
183	—"—	—"—		सिंघनपुर		
184	—"—	—"—		बरौली		
185	—"—	—"—		मरियामारी		
186	—"—	—"—	41, पावद्वार	पावद्वार	पावद्वार	
187	—"—	—"—		गिधावा		
188	—"—	—"—		गढ़डोगरी रै0	गढ़डोगरी रै0	
189	—"—	—"—		बोकराबेड़ा		
190	—"—	—"—	42, घटुला	घटुला	घटुला	
191	—"—	—"—		पाण्डरवाही		
192	—"—	—"—		घोघोपुरी		
193	—"—	—"—		पाईकभाटा	पाईकभाटा	
194	—"—	—"—		पद्मपुर		
195	—"—	—"—	43, पोड़ागांव	पोड़ागांव	पोड़ागांव	
196	—"—	—"—		भीषमपुरी		
197	—"—	—"—		लखनपुरी	लखनपुरी	
198	—"—	—"—		बम्हनीनभर्री		
199	—"—	—"—	44, रतावा	रतावा	रतावा	
200	—"—	—"—		आमगांव		
201	—"—	—"—		बिरनासिल्ली	बिरनासिल्ली	
202	—"—	—"—		फरसगांव		
203	—"—	—"—		बहीगांव		
204	—"—	—"—		ठोठाझरिया		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
205	नगरी	सिहावा	45, बोरई	बोरई	बोरई	
206	–"–	–"–		कारीपानी		
207	–"–	–"–		बुड़रा		
208	–"–	–"–		मैनपुर	मैनपुर	
209	–"–	–"–		बनियाडीह		
210	–"–	–"–	46, घुटकेल	घुटकेल	घुटकेल	
211	–"–	–"–		लिखमा	लिखमा	
212	–"–	–"–		एकावारी		
213	–"–	–"–	47, करही	करही	करही	
214	–"–	–"–		उजरावन/ मादगिरी		
215	–"–	–"–		जोरातराई		
216	–"–	–"–		करखा/ मासुलखोई		
217	–"–	–"–		खल्लारी	खल्लारी	
218	–"–	–"–		आमझर		
219	–"–	–"–		मुंहकोट		
220	–"–	–"–		साल्हेभाट		
221	–"–	–"–		चमेंदा		
222	–"–	–"–		गाताबाहरा		
223	–"–	–"–	48,नवागांव(सां.)	नवागांव (सां.)	नवागांव (सां.)	
224	–"–	–"–		सांकराकूप		
225	–"–	–"–		लिलांज		
226	–"–	–"–		गहनासियार		
227	–"–	–"–		भीरागांव		
228	–"–	–"–		मौहाबाहरा	मौहाबाहरा	
229	–"–	–"–		पोड़ीडीह		
230	–"–	–"–		गैंदाभर्री		
231	–"–	–"–	49, मेचका	मेचका	मेचका	
232	–"–	–"–		खालगढ़		
233	–"–	–"–		अरसीकन्हार		
234	–"–	–"–		बोईरगांव		
235	–"–	–"–		रिसगांव	रिसगांव	
236	–"–	–"–		आमाबहार		
237	–"–	–"–		संदबाहरा		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
238	नगरी	सिहावा	50, बेलरबाहरा	बेलरबाहरा	बेलरबाहरा	
239	–"–	–"–		ठेनही	ठेनही	
240	–"–	–"–		गाताभर्री		
241	–"–	–"–		बासीन		
242	–"–	–"–		अर्जुनी		
243	–"–	–"–		दौड़/पण्डरीपानी		
244	–"–	–"–		तुमड़ीबहार		

(सी.आर.प्रसन्ना)
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 5th May 2017

No. 813/Confdl./2017/II-2-90/2001 (Pt. III).— (A) Shri Gautam Chouradiya, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, Bilaspur is appointed as Registrar (Judicial) in the Establishment of the High Court form the date he assumes charge of his office.

(B) Shri Kanwar Lal Charyani, Member of Higher Judicial Service and presently posted as district & Sessions Judge, Baloda-Bazar is transferred and appointed as Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, Bilaspur from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 5th May 2017

No. 815/Confdl./2017/II-2-90/2001 (Pt. III).— (A) Shri Maneesh Kumar Thakur, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Additional Registrar (D.E.), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is appointed as Additional Registrar (Judicial) in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office.

(B) Smt. Mamta Shukla, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Raigarh is transferred and appointed as Additional Registrar (D.E.) in the Establishment of the High Court form the date she assumes charge of her office.

Bilaspur, the 5th May 2017

No. 817/Confdl./2017/II-2-1/2017.—The following members of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred form the place shown in column No. (3) to the place shown in column No. (4) and are posted as District Judge from the date they assume charge of their office(s) and;

The following members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Santosh Sharma, District & Sessions Judge.	Dantewara	Baloda-Bazar	Baloda-Bazar	District & Sessions Judge.
2.	Shri Sudhir Kumar, Judge, Family Court.	Mahasamund	Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 5th May 2017

No. 820/Confdl./2017/II-2-1/2017.—The following Candidate, as mentioned in Column No. (2) of the table below, who has been appointed on probation as District Judge (Entry Level) in the Cadre of Chhattisgarh Higher Judicial Service by the State Government vide its Order/Endt. No. 3626/1286/XXI-B/C.G./2017 dated 19-04-2017, is posted at the place and in the capacity as shown against his name in Column No. (4) with a direction to join his place of posting positively within 15 days from the date of this order.

The following candidate is also appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (3) from the date he assumes charge of his office :-

TABLE

S. No. (1)	Name (2)	Sessions Division (3)	Posted as (4)
1.	Shri Satish Kumar Jaiswal, Bouripara, Surguja (Ambikapur) (C.G.) Pin-497001.	Bastar (Jagdalpur)	II Additional District & Sessions Judge, Jagdalpur.

Bilaspur, the 10th May 2017

No. 828/Confdl./2017/II-3-14/2000.—On the application of Ku. Sanjaya Ratrey, Member of Lower Judicial Service, presently posted as I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate, Jashpur, She is hereby, permitted to change her name as "Smt. Sanjaya Ratrey" in place of "Ku. Sanjaya Ratrey" and to incorporate the name of her husband Shri Ramesh Kumar Banjare in her service records. It is directed that necessary changes be affected in all her records.

By the order of Hon'ble the Chief Justice,
ARVING SINGH CHANDEL, Registrar General.